हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 सितम्बर, 1985

खण्ड 2 अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 26 सितम्बर, 1985

पृश्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)9
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(1)25
अध्यक्ष द्वारा घोशणा'	
1. सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	(1)35
2. पैनल आफ चेयरमैन	(1)36
3. कमेटी नॉन पैटी ांज	(1)36
सचिव की घोशणा–	
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(1)36
वि ोशाधिकार का प्र न–	
अपने कर्तव्यों को निभाने में अध्यक्ष की निश्पक्षता पर आपेक्ष करने के लिए डा0 भीम सिंह दहिया, एमएलए के विरूद्ध	(1)37

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–	
जिला महेन्द्रगढ और भिवानी में फसल के हुए नुकसान सम्बन्धी	(1)40
नियम 121 के तहत प्रस्ताव	(1)42
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक	(1)42
सदन की मेज पर पुनः रखे/रखे गए कागज पत्र	(1)45
वर्श 1985–86 में सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेटस (पहली किस्त) पे ा करना	(1)47
ऐस्टीमेटस कमेटी वर्श 1985–86 में सप्लीमैंटरी (पहली किस्त) पर रिपोर्ट पे ा करना	(1)47
ब्रांच आफ प्रिविलेज के मामलों में प्रिविलेज कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे ा करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने के लिए समय बढाना।	
1. 24–6–1982 को राज भवन में हरियाणा के राज्यपाल का कथित अपमान करने, गाली देने तथा बल प्रयोग करने के लिए चौधरी देवी लाल, एक्स एमएलए के विरूद्ध	(1)47
2. 24–6–1982 को सदन में राज्यपाल के अभिभाशण	(1)49

के अवसर पर उनके कथित भ्रश्टाचार सम्बन्धी, चौधरी देवी लाल, एक्स एमएलए के विरूद्ध	
चौधरी हरद्ववारी लाल भूतपूर्व कुलपति, महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी रोहतक के विरूद्ध	(1)51
बिल्ज (इन्ट्रोडयूस्ड– सदन की अनुमति से)–	
दि हरियाणा कौमन पूर्वजिज लैंड एविए ान एंड रेट रिकवरी बिल, 1985	(1)52
दि कोड आफ किमिनल प्रोसीजर (हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1985)	(1)53
दि पंजाब सिनेमा (रैगुले ान) (हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1985)	(1)53
दि पंजाब टाऊन इम्प्रवूमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलिडे ान बिल, 1985)	(1)54
दि हरियाणा लैजिसलेटिव असेम्बली (अलांउसिंज एण्ड पैन् ान आफ मैम्बर्ज) सैंकिड अमैंडमैंट बिल, 1985	(1)55
दि हरियाणा लैजिसलेटिव असेम्बली स्पीकर्ज पैन् ान एण्ड मैडिकल फैसिलिटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1985	(1)55

हरियाणा विधान सभा

26 सितम्बर, 1985

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ में 14–00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब औबिचुअरी रैफ्रेन्सिज होंगे।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय यह सदन अकाली दल के अध्यक्ष सन्त हरचन्द सिंह लोंगोवाल की 20 अगस्त 1985 को हुई निर्मम हत्या पर गहरा भाोक प्रकट करता हैं।

सन्त हरचन्द सिंह लोगोंवाल का जन्म 2 जनवरी 1934 को संगरूर जिले के गदरियानी गांव में हुआ था। उनके धार्मिक प्रवचनों का आसपास के गांवों में बहुत गहरा प्रभाव पडा। उनका अधिकतर समय विभिन्न गुरूद्वारों में ग्रन्थी के रूप में बीता। 1947 में वह अकाली दल में भाामिल हुए। बंटवारे के समय उन्होंने मुसलमानों की जीवन रक्षा की। 1952 में वह गांव लोंगोवाल आए और भाई मनी सिंह भाहीद गुरूद्वारे का निर्माण करवाया। वह वहीं बस गए तथा सन्त लोंगीवाल के नाम से ही उनहें लोग बुलाने लगे।

वह 1963 से ि ारोमणी अकाली दल की कार्यकारी समिति के सदस्य थे। वह 1964–65 में जिला भंटिडा में पांचवे तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार रहे। वह 1965 से ि ारोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के धर्म प्रचार विभाग के सदस्य तथा 1964–69 में जिला संगरूर के ि ारोमणि अकाली दल के अध्यक्ष रहे। वह 1969 के मध्यावती चुनावों में हरियाणा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। वह 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष बने।

सन्त लोंगोवाल ने अपना जीवन साम्प्रदायिक सदभाव तथा बहुत पुरानी पंजाब समस्या को हल करने के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने 24 जुलाई 1985 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ ऐतिहासिक भारत सरकार अकाली दल समझौते पर हस्ताक्षर किए।

उनके निधन से दे ा एक ऐसे सन्त से वंचित हो गया है जिसने राश्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

यह सदन दिंवगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन लोकसभा सदस्य श्री ललित माकन तथा उनकी पत्नी श्रीमति गीताजंलि माकन की 31 जुलाई 1985 को हुई निर्मम हत्या पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री ललित माकन का जन्म 16 अक्तूबर 1950 को हुआ। वह एक प्रसिद्ध श्रमिक संघ नेता थे। वह 1973 से 1976 तक दिल्ली प्रदे ा कांग्रेस (इ) समिति के महासचिव तथा दिल्ली प्रदे ा युवा कांग्रेस के प्रेजीडेंट रहे। वह 1983–84 में दिल्ली महानगर परिशद के सदस्य रहे। वह पिछले दिसम्बर में लोकसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने कई दे ाों की यात्रा भी की।

उनकी दुखद हत्या से दे ा एक प्रसिद्ध श्रमिक संघ नेता तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी प्रताप सिंह दौलता के 30 मई 1985 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

चौधरी प्रताप सिंह का जन्म 14 अप्रैल 1918 को जिला रोहतक के चिमनी गांव में हुआ। वह बी0ए0 एलएलबी थे तथा उन्होंने पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट चण्डीगढ तथा सुप्रीमकोर्ट दिल्ली से वकालत की। उन्होंने 1947 में पाकिस्तान से हिन्दुओं और सिखों को सुरक्षित निकालने के लिए कार्य किया तथा रोहतक क्षेत्र में ि ाक्षा को बढावा देने में गहरी रूचि ली। वह 1943 में पंजाब युवक जमींदारा एसोसिए ान (यूनियनिस्ट पार्टी की छात्र भााखा) के प्रधान रहे। वह 1945–47 में यूनियनिस्ट पार्टी के संयोजक सचिव

1953–55 में पंजाब किसान सभा के उप प्रधान तथा 1960 से 1964 तक राश्ट्रीय मार्क्सवादी एसोसिए ान के संस्थापक प्रधान रहे। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विभिन्न राजनैतिक सम्मेलनों में भाग लिया।

वह 1957 से 1962 तक दूसरी लोकसभा के सदस्य रहे। वह 1967 में हरियाणा के विकास वन तथा मच्छली पालन मंत्री रहे। वह 1967 से 1972 तक रोहतक जिला के बेरी निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए चुने गये।

उनके निधन से दे ा एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिंवगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन महानगर परिशद दिल्ली के सदस्य श्री अर्जुन दास की 4 सितम्बर 1985 को हुई निर्मम हत्या पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री अर्जन दास का जन्म 2 सितम्बर 1939 को लौहार में हुआ। अपना जीवन एक साधारण साइकिल मकैनिक के रूप में आरम्भ करके वह महानगर परिशद, दिल्ली के अग्रणी सदस्य के पद पर आसीन हुए। वह खेल अनुरागी थे और उनहोंने दिल्ली में कई कु ती प्रतियोगिताएं आयोजित की। श्री अर्जुन दास 1972 में

महानगर परिशद के सदस्य निर्वाचित हुए तथा 1983 में पुनः इसके सदस्य चुने गए।

उनके असामयिक निधन से दे ा एक उत्साही सामाजिक वह राजनीतिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिंवगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता है।

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री प्रो0 य ावन्त राय के 16 जून 1985 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

प्रो0 य ावन्त राय का जन्म 15 मई 1916 को हुआ। वह बीए बीटीटीडी (लंदन) थे। वह दृ य ि ाक्षा में वि ोशज्ञ थे वह यूके की रायल सोसायटी आफ टीचर्ज के सदस्य थे। वह दस वर्श के अध्यापन क्षेत्र में रहे तथा उन्होंने कांग्रेस संगठन के माध्यम से हरिजनों के भौक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान तथा उसमें राजनीतिक जागृति लाने के लिए कार्य किया। वह अखिल भारतीय बाल्मिकी सभा, नई दिल्ली के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1947–52 में अखिल भारतीय बाल्मिकी सभा नई दिल्ली के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1954 से 1971 तक पंजाब केसरी लाला लाजपतराय द्वारा जगराओं में संस्थापित राधा कृश्ण ट्रश्ट के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। वह जगराओं के लाला लाजपतराय मैमोरियल कालिज के संस्थापक थे। वह 1947–49 में संविधन सभा तथा 1950 से 1952 तक अस्थायी

सदस्य थे तथा इसके डिप्टी चेयरमैन भी रहे। वह 1962 में उपमंत्री प्र ाासन रहे। वह 1966–67 में समाज कल्याण और पिछडी श्रेणियों के कल्याण तथा स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री रहे।

उनके निधन से दे ा एक योग्य ि ाक्षा विद तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अमर नाथ विद्यालंकार का जन्म 8 दिसम्बर 1902 को भेरा (पाकिस्तान) में हुआ। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और कई बार जेल यात्रा की। वह 1926–1946 के दौरान सर्वेण्टस आफ पीपल सोसायटी के सदस्य रहे। वह एक प्रमुख श्रमिक नेता थे। वह 1950–51 तथा 1957–62 में पंजाब विधान सभा के सदस्य तथा 1956–62 में ि ाक्षा, श्रम तथा भाशा मंत्री रहे। वह 1952–56, 1962–67 तथा 1971–77 में लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने हिन्दी व अंग्रेजी में कई किताबें प्रकाि ात करवाई।

उनके निधन से दे ा एक स्वाधीनता सेनानी, सुप्रसिद्ध श्रमिक नेता एवं अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक तथा लोकसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी बलवीर सिंह की 10 मई 1985 को हुई दुखद हत्या पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

चौधरी बलवीर सिंह का जन्म नवम्बर 1916 में होि ायारपुर में हुआ। वह एक प्रसिद्ध आर्य समाजी थे तथा होि ायारपुर की डीएवी भौक्षणिक संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के प्रैजीडेंट थे। वह पंजाब विधान सभा के लिए 1957, 1967 तथा 1969 में तीन बार चुने गए। वह 1977 में लोकसभा के लिए चुने गए। वी डीएमकेपी जिसका नाम हाल की में लोकदल रखा गया है की पंजाब यूनिट के प्रैजीडेंट थे।

उनके निधन से दे ा एक योग्य ि ाक्षाविद तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक डा0 परमानन्द के 29 जून 1985 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

डा0 परमानन्द का जन्म 1909 में हुआ। वह होम्योपैथी के चिकित्सक थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह 18 मास के लिए जेल गए तथा 5 वर्श भूमिगत रहे। वह इण्टक (पंजाब तथा हिमाचल क्षेत्र) के प्रेजीडेंट रहे तथा उन्होंने श्रमिक व कृशक कल्याण के लिए कानून

बनाने में सक्रिय भाग लिया। वह जिला कांग्रेस समिति करनाल के महासचिव रहे तथा 1957 में पानीपत से विधायक चुने गए।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन प्रमुख हिन्दी लेखक तथा विद्वान श्री बनारसी दास चतुर्वेदी के 2 मई 1985 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री बनारसी दास चतर्वेदी का जन्म 24 दिसम्बर 1892 मे जिला आगरा मे हुआ। उन्होने 1913 मे अपना जीवन एक अध्यापक के रूप मे आरम्भ किया। वर्श 1914 मे उनकी नियुक्ति राजकुमार कालेज, इन्दौर मे हुई जहा उन्होने अपनी प्रथम कृति फिजी मे इक्कीम वर्श प्रकाि ात की। इस प्रका ान ने उन्हे सुप्रसिंद्ध राश्ट्रवादी लेखक बना दिया। उन्होने 1918 मे प्रवासी भारतवासी नामक एक वि ााल ग्रथ का प्रका ान किया। वह 1920 मे नौकरी छोडकर कर सी0एफ0एण्डूस के साथ भाान्ति निकेतन मे तथा बाद मे गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम मे रहे। वह 1952 से 1964 तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

श्री बनारसी दास ने कई दे ाो की यात्रा की तथ अफ्रीका और रूस पर विस्सृत रूप मे लिखा। उन्होने उर्दू मे भी लिखा।

उन्हौने अपने जीवन चरित, यात्रा सस्मरण और पत्र लेखन कृतियो से हिन्दी गध को समृद्ध किया। वह होनहार युवा लेखको के सरक्षक थे। यह कलकता मे वि ाल भारत के सम्पादक रहे । उनके निधन से दे ा एक क्रान्तिकारी विचारक, एक प्रमुख हिन्दी लेखक एवम अनुभवी सांसद की सेवाओ से आश्रित हो गया है। यह सदन दिवगंत के भाोक सत्पत परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है।

यह सदन लोक सभा के सदस्यो श्री मोहर सिंह राठौर, चौ0 गिरधारी लाल, डा0 सारदी ा राय, एवम श्री जमील उर रहमान के दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

सदन उनके भाोक सतप्त परिवारो के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 23 जुन 1985 को हुई एयर इडिया जेम्बो जैट कनिश्क दुर्घटना मे मारे गए सभी व्यक्तियो के दुखत निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

सदन उनके भाोक सत्प्त परिवारो के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है।

श्री लछमन सिह कालका: स्पीकर साहब, भाोक प्रस्ताव जी इस वक्त हाउस के सामने मुख्यमंत्री जी ने रखा है मै अपने आपको इस प्रस्ताव मे भाामिल करता हूं और इस सभी व्यक्तियो को अपनी तरफ से श्रद्धाजली भेट करता हू। इनमे से बहुत सारे व्यक्तियो को मै

जाति तौर पर जानता था। खासतौर पर सत हरचद किस लोगो वाल मेरे बडे नजदीकी जानकार वाकिफयार थे इनकी मै पजब अकोड हाने से पहले मिला थां। जो व्यक्ति उनसे मिलते थे या मिले है, वे सभी जानते है कि वे कितने नेक और हिम्मत वाले भाख्भा थे उनके मन मे किसी व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ कोई मजबान नही थें। वे हिन्दू सिख एकता के हांसीक थे उस समय सभी यही समझते थे कि समझौता होने नामुनाकितन है कोई भी फैसला होने वाला नही है। लेकिन फैसला करने के लिए जितनी हिम्मत इन्होने दिखाई वह काबले तारीफ है। मै यहा कहना चाहूंगा कि सत हरचंद सिंह लोगोवाल की सच्ची श्रद्धाजलि यहा होगी कि जिस स्पिरिट मे और जिस हिम्मत के साथ इन्होने अकोर्ड साईन किया था, उसको स्पिरिट मे सिरे चढाया। तभी हम सच्ची श्रद्धाजलि उनको दे सकेगे। स्पीकर साहब पिछले दिनो दिल्ली मे रायटस हुए थे और यह बात अखबारो मे आई थी। जब उनको इन रायटस का पता लगा तो पीडित लोगो के प्रति उनके मन मे बहुत हमदर्दी पैदा हुई । सन्त जी ने दिल्ली मे हिन्दुओ के घरो मे जाकर हिन्दुओ की तारीफ की। वे किसी को दुख नही दे सकते थे। स्पीकर साहब यह तो आप जानते है कि गुरूओ की वाणी मे लिखा है और 15 हिन्दु देवताओ के ग्रन्थो मे लिखा है कि हिन्दु और सिख अटूट अग है। सन्त जी की इन वाणियो मे अपार वि वास था। हिन्दु और सिख एक है। ये अलग नही हो सकते। जब भोग पडा था उस वक्त भी मै वहा गया था । वहा पर लाखो आदमी इनकी मृत्यु होने से बेताब थे यह नही सारे दे ा ने इस बात को

महसूस किया है। मै इनको सच्चे दिल से श्रद्धाजलि आर्पित करता हूं।

स्पीकर साहब, चौधरी प्रताप सिंह दौलता भी आज हमारे बीच मे से उठ गये। वे राव वीरेन्द्र सिंह की कैबिनेट मे मिनिस्टर रहे है। जैसा कि लीडर आफ दी हाउस ने कहा है कि वे उच्चे कोटी के वकील थे। और मैम्बर आफ पालियामैटर भी रहे है। इसी तरह प्रो0 य ावन्त राय जी का निधन हो गया। वे हरिजनो के लीडर थे लेकिन आज वे हमारे दरभयान नही है श्री बलबीर सिंह सैनी के निधन पह हम बडा दुख है। मै इनको जाति तौर पर जानता था बहुत अच्छा आदमी थे। इसी तरह से और भी कई महानुभावो का निधन हो गया। मै इन सब को अपनी तरफ से श्रद्धाजलि अर्पित करता हू।

श्रम तथा रोजगार मंत्री श्री राजे ा कुमारः स्पीकर साहब, श्री मुरताज फजल अली जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे इनका भी निधन हो गया है। मेरी प्रार्थना है कि इनका नाम भी भाोक प्रस्ताव की लिस्ट मे भाामिल कर लिया जाए।

चौधरी भजन लालः ठीक है जी इनको भी हम भाामिल कर लेते है। यह गलती से मिस हो गया था।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, पिछले असैम्बली सै ान के बाद हमसे बहुत सी परसनैलिटीज अलग हो गई है। आनरेबल मैम्बर्ज आप मुझ सहमत होगे कि जिन परसनैलिटीज का जिक्र इन

औबिचुयरी रैफैसिज मे आया है। वह महान थे इसमे कोई भाक की बात नही कि उनकी डैथ से हमारी स्टेट और कटरी की बहुत धक्का लगा है। और उसकी पूर्ति करना बहुत ही मु कल है। मै इन मे से एक का जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हू।

सत हरचन्द सिह लोगो वाला का ब्रटुल अपैसिने ान जिस ढग से हुआ है यह बहुत ही दुखदायी है वे असल मे रिलीजियस डिस्कोर्सिज मे हिस्सा लेते थे और रिलीजन मे विलीय करने वाले एक नेक तथा जुरैत वाले इन्सान थे। His religious discourse won him acciaim in the surrounding village because most of his time was spent as Granthi is various Gurdwara. He was elected as a member of Punjab Vidhan Sabha in 1969 mid term elections and became President of Akali Dal in 1980. His brave and courageous stand on the issued in Punjab brought a seltlemant that lad ushered an ora of peace, cooperation and alroud development in Punjab. He workded courageouslay usly for commuanal harmaony to unite the pepole of Punjab to remove harred from.His gentleness tranparent sincerity and commitment to the walafar of all communities have left their impression in the history of Punjab. In his death the country has lost a great and valiant Leader at a time when he was really needed the most.

श्री ललीत साकन एक रिप्यूटिड ट्रेड यूनियनिस्ट थे। वह दिल्ली प्रदे ा कागे्रस कमेटी के जनरल सैक्रेटरी थे और दिल्ली प्रदे ा यूथ कागे्रस के 1973.76 तक प्रैजिडेट रहे। 1983.84 मे ये दिल्ली मैट्रोपोलिटन कौंसिल के मैन्बर चूने गये और दिसम्बर 1984 मे लोक सभा के लिए चुने गये। He was a widely travelled man. In

his short career Mr. Maken has made. His mark in politics and labour movement.उसकी डेथ ने दे ा ने एक रिव्वूडिड ट्रेड यूनियनिस्ट खो दिया है।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता हमारी स्टेट के फोरमर मिनिस्टर थे। He worked for the salfe evancuation of Hindus and Sikhs from Pakistan in 1947 and look interest for teh promotion of education in Rohtak area. 1957 to 1962 तक लोक सभा के मैम्बर्ज भी रहे। 1967 मे वे हरियाणा मे मिनिस्टर बने। उनकी डैथ से दे ा ने एक डिवोटिड सौ ाल वर्कर खे दिया है।

श्री अर्जुन दास देहली मैट्रोपोलिटन कौसिल के मैम्बर थे He started his career as a humble bicycle mechanic.He was a aport enthusianst वे पहली बार 1972 मे और दूसरी बार 1983 मे मैट्रोकोलिटन कौसिल के लिए मैम्बर हुए।

प्रोफैसर य ावत राय ज्वायट पजाब के फोरमन मिनिस्टर थे। He was a specialist in visual education and was a member of teh Royals Society of Teachers U.K. वें 1947 से 1949 तक प्रोवीजनल पार्लियामैट के मैम्बर रहे। वे 16 साल तक पजाब लैजिस्लेटिव कौसिल के मैम्बर रहे and alos served as its Deputy Chariman. उसकी डैथ से दे ा ने एक ऐजुके ानिस्ट खो दिया है।

श्री अमर नाथ विधालकार ज्वायट पजांब के फोरमर मिन्स्टिर थे He took part in freedom struggle and was imprisoned several times. He remained member of Servants of the People

Society for 20 years. वे कई साल तक पजांब लैजिस्लैटिव असैम्बली के मैम्बर और बाद मे मिनिस्टर भी रहे। वे तीन बार लोक सभा के लिए चुने गये। उनकी डैथ से दे ा ने एक फीडम फाइटर खे दिया है।

चौधरी बलबीर सिंह भी ज्वांयट पजांब के फोरमन एम0एल0ए0 थे। He was staunch Arya Samajist. वे पजाब असैम्बली के लिए तीन बार इलैक्ट हुए थे और लोक सभा के लिए 1977 मे इलैक्ट हुए।

डा0 परमान्नद ज्वांयट पजांब के फोरमन एम0एल0ए0 थे। He was a Homeopathy Practitioner and suffered imprisonment for 18 months during the freedom struggle and had to remain underground for five yerrs.वे पजांब एण्ड हरियाणा रीजन्स इन्टक के प्रैजिडैट भी रहे। वे 1957 मे पानीपत से पजाब लैजिस्लैटिव व असैम्बली के लिए इलेक्ट हुए।

Shri Banarsi Das Chaturvedi was a noted Hindi writer, He stared his career as a Teacher. He left his service in 1920 and lived in Santiniketan with C.F Andrews and with Gandhiji in Sabarmati Ashram.वे 12 साल तक राज्य सभा के भी मैम्बर रहे। Shri Banarsi Dass travelled widely and had written extendisvely on Africa and Russia. उनकी डैथ से दे ा ने एक रैवोल्यू ानरी विकर खो दिया है।

मै सबंधी मोहर सिंह राठोर, गिरधारी लाल, डाक्टर सारदि ा राय तथा जमीलूर रहमान मैम्बर्ज आफ लोक सभा के प्रति भी होमेज पे करता हूं ।

एयर इडिया जम्बो जेट कनिश्क की ट्रेजडी जो जुलाई मे हुई थी। उसके बारे मे मै जितना भी कहू मेरे विचार से कम है।

मै जिन सब परसनैलिटीड का जिक्र इस लिस्ट मे किया गया है उन सब को होमेज पे करता हू और इस हाउस की डीप सिम्पथी को ब्रीवड फैमिलीज तक पहुचा दूंगा।

अब मै हाउस से रिक्रवैस्ट करूगा कि इन डिपोर्टिड सीस्ज को होमेज पे करने के लिए खडे होंकर दो मिन की साइलैस ओब्जर्व करे।

ताराकित प्र न उत्तर।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now we start with question

ताराकित प्र न सख्या 1004

Mr. Speaker: The first question is in the name of Dr. Bhim Singh Dahiya. He is nor present. So this queistion is not put.

Construction of Dinod Bhiwani Anaj Mandi Road

***1015 Chauhri Surender Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the construction work on Dinod Bhiwani Anaj Mandi road remained stoped for the lase about two yers if so; the reasons thereof ; and

(b) the time by which the said road is likely to be completed by teh State Agriculatural Marketing Boadr?

मुख्य मंत्री चौधरी भजल लालः

(क और ख) सडक का निमार्ण कार्य पूरा कर लिया है। यधपि तारकोल की कमी, वर्शा और भीत ऋतु आदि के कारण कार्य के पूरा होने मे कुछ विलम्ब हुआ है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जवाब को देखने से तो कोई स्पलीमैटरी अराइज नही होता लेकिन मै आपके द्वारा मुख्यमत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि डेढ किलोमीटर का टुकडा ऐसा है जिसके ऊपर दो पुल अभी नही बने है। क्या मुख्य मंत्री जी बताएगे कि उन्हे कितने दिनो मे पूरा कर दिया जाएगा ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस सडक पर 9 पुलिया जमीन थी। चौधरी सुरेन्द्र सिंह जो भाायद कई दिनो से भिवानी नही गए होगे इसलिए हो सकता है कि इन्हे यह पता न हो कि ये अब बन कर तैयार हो गई है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, रात रात की बन बन गई हो तो पता नही (हंसी) इसके अलावा, स्पीकर साहब लेकिन वहा अभी तक पुल नही बना है।

चौधरी भजन लाल: नहर के पुल की बता तो मै नही कहता लेकिन सडक के बीच मे जो पुलिया वो बना दी है।

Strudents belongign to Schedule Casts

***1014 Shri Bhalle Ram:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) the total number of boys and girls belonging to Scheduled caste stydying in teh Schools and Colleges in teh State during teh years 1984 and 1985 to date separately;

(b) the number of students out of those referred to in part a above belonging to chamar, Dhank and Balmiki Communities , Scparately; and

(c) the number of students out of those referred to in part (a) above as are getting stipends together with the amount paid therof in each case during the period as referred to in part (a) above ?

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra): The reply to part (a), (b) and (c) of the question at Annexure 'A' is laid on the table of the House.

ANNEXURE A

(A) The total number of girls and boys belonging Sehedule Castes studying in the School and cooleges in the State during the yerars 1984 and 1985 todate

School Side				College Side			
	1984	1985	Total		1984	1985	Total
Boys	240466	24781	488247	Boys	6773	6987	13760
Girls	121103	127047	248150	Girls	452	495	947

(b) The brekas up of students belonging to Chamar, Dhanak and Balmiki communities is as under:-

School Side			College Side
	1984	1985	This break up is not readly aviakable. It is being collected from

			127 Government and Private College in the State adn extension of one month is requrired to complie the information
Chamar	224336	230126	
Dhanak	32265	33601	
Balmiki	48620	49277	
Total	305221	313004	

(c) The number of students belonging Sehedule Castes who got stipend ablong with the amount paid to them is as under

	1983-84	Amont paid Rs. In lakhs	1984-85	Amount paid Rs. in Lakhs		1984	Amont paid Rs. In lakhs	1985	Amount paid Rs. in Lakhs

Boys	22498	54.00	19103	45.85	Boys	6843	5811790(including some back log fo previous year also	78	35903(Claims are still being received for the current year for the which teh last
Girls	7508	17.99	6367	15.28	Girls	419	441000	1	1193
Total	29998	71.99	25470	61.13	Total	7262	6252790	79	37096

श्री भले रामः स्पीकर सर, मैने इनसे पूछा था कि वर्श 1984. 85 मे कितने हरिजन लडके और लडकियो ने स्कूलो और कालेजो मे दाखिला लिया। इन्होने लडके और लडकियो की टोटल सख्या तो बता लेकिन स्कूलवाइज ब्रेाक अप नही दी। फिर इन्होने अपने जवाब मे यह बताया है कि वर्श 1985 मे स्कूलो मे चमार छात्रा 230126 है धानक छात्र 33601 है और बाल्मीमिक छात्र 49277 है। क्या मिनिस्टर साहब बताएगे कि धानक और बाल्मीकी छात्रो की सख्या कम क्यो है और इसे बढाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, अलग अलग स्कूलो की ब्रके अप इस वक्त मेरे पास नही है जहा तक धानक और बाल्मीकि छात्रो की सख्या कम होने का सम्बन्ध है इसका कारण यह हो सकता है कि या तो चमार अधिक है और धानक और बाल्मीकि कम या चमार पढने से ज्यादा इच्छुक है तथा धानक और बाल्मीकि का इच्छुक है। जहा तक सरकार का ताल्लुक है वह सभी भाडयूल्ड कास्टस को चाहे व चमार है बाल्मीकि है या धानक है टयू ान फी, वजीफा और वर्दी आदि की एक समान सुविधसा देती है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट मे ि ाक्षा अनिवार्य है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से बच्चे ऐसे है जो स्कूलो मे नही जाते। क्या ि ाक्षा मंत्री जी बताएगे कि ऐसे कितने बच्चे है जिसकी उमर स्कूल जान की है लेकिन वे स्कूल नही जाते और उन्हे कम्पलसरी ऐजुके ान देने के लिए क्या कुछ किया गया है?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा मे आठवी तक फी ऐजुके ान है। हम यह कोि ा ा करते है कि हर बच्चा, जिसकी उमर 6 से 14 साल तक की है, स्कूल मे आए। अभी तक 89 परसैट बच्चे स्कूल आ सके है। 11 परसेट बच्चे अभी स्कूल मे आने को रहे है वैसे तो एसैन ाल एजुके ान ऐक्ट कई सालो से, ज्वायट पजांब से ही लागू है। लेकिन हम इसे कानूनी रूप नही देना चाहते । हम चाहते है कि परसुए ान से ही काम हो जाए। इसके लिए हम कोि ा ा कर रहे है। जो लोग पढना नही चाहते उन्हे धक्के से पढाना मुि काल है लेकिन जो बच्चे पढाई छोड देते है उनके लिए नौन फोर्मल ऐजुके ान का प्रावधान है। स्कूल टाइमिग्ज के बाद उन्हे पढाया जाता है। प्रोढ ि ाक्षा का भी प्रबन्ध है लेकिन इन सब बातो के बावजूद भी अभी तक 11 परसेट बच्चे स्कूलज मे नही आ रहे है इसके लिए हम बाकायदा कोि ा ा कर रहे है।

श्री लछमन सिहः स्पीकर साहब, आप इटू ान के लिए मुझे माफ करेगे क्योकि बार बार यह चमार लफज कहे जाने से मै अपसैट हू। मै इस बारे मे सी0एम0 साहब से क्लैरिफके ान लेना चाहूगां । बाहर तो चमार लफज कहना कोगनिजबलऔफेन्स है लेकिन यह चमार भाब्द इस्तेमाल हो रहा है यही नही हरिजन भाई खुद इस भाब्द का इस्तेमालन कर रहे है। स्पीकर साहब, नाराणगढ मे इसी बिना पर कई केस रजिस्टर हुए है। बाहर तो इस तरह कहना नौन बेलेबल औफैन्स है लेकिन यह चमार भाब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है तो मै सी0एम0 साहब से यह क्लैरिफिके ान लेना चाहता हू कि क्या अब ताजेरात हिन्द

मे अमैडमैट हो गई है और बारह भी इस भाब्द का इस्तेमाल हो सकता है?

मुख्य मत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय बात नीयत की होती है देखना यह पडता है कि लफ्ज कहने की नीयत क्या है। गाली की भाक्ल मे अगर इसे कहा जाता तो यह बुरी बता है वैसे तो कहा ही जा सकता है (विघन) चमार के भाब्द कहा जाता है वह आपतिजनक होता है।

Shri Lachmano Singh: Sir I seek your intervention. I have raised a very important point and I would like to seek charification on this point from the Chief Minister क्योकि नारायनगढ मे इसी बात पर बहुत से मुकदमे बने हुए है क्या मैबर्ज को हाउस मे कुछ तो कहने की खुली छुट है ?

श्री अध्यक्षः उन्होने कह दिया है कि बात इन्टै ान की है और देखना यह पडता है कि क्या कोई किसी भाब्द की हफारत की नजर से कहना चाहता है या फायदे के लिए कहना चाहता है।

श्री लछमन दासः स्पीकर साहब, मेरी सबमि ान तो यह है कि यह भाब्द प्रोसीडिग्ज से ऐक्सपंज होना चाहिए क्योकि यह कटैम्पचुअस है।

श्री अध्यक्षः ऐसी बात नही है यह आप जो मर्जी कह ले। यहा ला लागू नही होता। इन फोर बाल्ज मे आप हंसी मखौल की बात कर सकते है।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय पहले जो हरिजन स्टूडैन्टस कालेजिज मे पढते थे और ऐप्रप्ड हरिजन होस्टल मे रहते थे उन्हे पूरा वजीफा दिया जाता था। सरकार के रोहतक मे कई ऐप्रूव्ड होस्टल है लेकिन अब वहा पूरा वजीफा नही दिया जाता। मै मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि क्या जो हरिजन बच्चे ऐसे होस्टल मे रहेगे उन्हे पूरा वजीफा दिया जायेगा।

श्री जगदी ा नेहराः जो प्राईवेट रिफोगनाइज्ड कालेजिज है अगर उनके बच्चे होस्टल मे रहते है तो उन्हे हम ग्राट इन एड मे कम्पनसेट करते है।

चौधरी फूल चन्दः ि ाक्ष मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि धानक और बाल्मीकि बच्चे कम हैं। उन्होने कम होने का कारण यह बताया कि भाायद चमारो की जनसख्या अधिक हो गई है मै मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि क्या जनसख्या के मुताबिक जितने बच्चे चमार के स्कूल मे जाते है उतने ही बाल्मीकी और धानक के बच्चे स्कूलो मे जाते है ?

श्री जगदी ा नेहराः जिस बरादरो की जितनी सख्या है उसी के मुताबिक मैने हाउस मे आकडे दिये है। मुझे तो पता नही कि किस किस की कितनी जनसख्या है। अगर मै फिर कुछ कहूगा तो लछमन सिंह जी कहेगे कि चमार का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया मै ऐसा कहना नही चाहता।

श्री लछमन सिंहः चमार भाब्द इस्तेमाल करने पर ही तो लोगो के खिलाफ मुकदमे बनते है।

श्री जगदी ा नहेराः वे अनटचेबिलिटी ऐक्ट के तहत बनते है।

श्री अध्यक्षः आप यह पत जो बाते कहते हो, वह कानून की जद मे नही आती । अगर यही बाते बाहर कहते है तो वह कानून की जद मे आ जाती है।

चौधरी फूल सिंहः स्पीकर साहब, मै श्री लछमन सिंह जी को बताना चाहता हू कि जुर्म तब बनता है If there is men sria of contempt behint it,अगर कोई ऐसा ऐक ान करे जिससे दूसरे को ऐक्साइटमैंट हो या प्रोबोके ान हो, तभी जुर्म बनता है।

श्री ए0सी0 चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बाल्मीकी तथा धानको को फिगर दी है। क्या यह बात सही नही है। कि बाल्मीकियो के मां बाप अपने छोटे बच्चो की गन्दगी उठाने के लिए दूसरो के घरो मे भेजे देते है इसलिए वे नही पढ पाते। जब हमारे सब की यह इच्छा है कि इनके बच्चे पढे तो इस कमी को पूरा क्यों नही किया जाता ? मै सरकार से यह जानना चाहूगा कि इस मामले मे डाउन ट्रोडन को ऊपर उठाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री जगदी ा नेहराः भाडयूल्ड कास्टस की 37 सब कास्टस है जिन मे चमार, धानक, बाल्मीकि तथा सिकलीगर आदि आते है मेरे पास सब कि लिस्ट है इन सभी को भाडयूल्ड के बेस पर तमाम सुविधाये देते

है। श्री ए0सी0 चौधरी ने बाल्मीकि की एक प्रोब्लम बताई कि उनके बच्चे घरो मे गन्दगी उठाने के लिए जाते है इसलिए पढ नही पाते। सरकार कोि ा ा कर सकती है उनके घरो मे जाकर कह सकती है कि आप बच्चे को पढाये। स्कूल के इन्चार्ज मास्टर को भी कह रखा है कि वे हरीजनो के घरो मे जाकर कहे कि आप अपने बच्चो को दाखिल करवाये। इसके इलावा पचायतो को भी चिटठी लिखकर हिदायत दे रखी है कि छ साल से 14 साल तक की उम्र के बच्चो को स्कूल मे जरूर दाखिल करवाये। इस तरह से आप लोगो से भी हम कोआप्रे ान चाहेगे कि आप अपने हल्के के लोगो को समझाये कि वे अपने बच्चो को अधिक से अधिक सख्या मे स्कूलो मे पढने के लिए भेजे। बाल्मीकियो के लिए वि ोश रूप से होस्टल का प्रबन्ध किया गया है। उन्हे हम अगल से स्टाइफैड भी दे रहे है। 145 रूपये का खर्चा देते है इस तरह से सरकार पूरी कोि ा ा कर रही है कि हरिजन बच्चे अधिक से अधिक स्कूलो मे जाकर ि ाक्षा प्राप्त करे।

श्री नेकी रामः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से ि ाक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि इस तीन बरादरियो के इलावा और कोई बरादरिया की क्या पोजी ान है ? क्या इस पर मंत्री महोदय रो ानी डालेगे ?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, यदि मै सारी लिस्ट पढूगा तो काफीह समय लगेगा अगर मैम्बर साहब चाहते है तो मै ही पढ देता हू।

श्री नेकी रामः पढ दीजिए।

1.	Ad dharmi
2	Balmiki Chura Dhangi
3	Bangali
4	Darar, Burar, Bera
5	Bawal
6	Bauria, Bawaria
7	Bazigar
8	Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidas
9	Bhanjra
10	Chamal
11	Dagi
12	Darain
13	Deha, Dhaya, Dhea
14	Dhanak

15	Dhogri, Dhangri,Siggi
16	Dhumna, Mahasha, Doom
17	Gagra
18	Gandhila, Gandhil,Gondola
19	Kabirapnthi, Julaha
20	Khantik
21	Kori, Koli
22	Marija, Marecha
23	Mazhabi
24	Megh
25	Nat
26	Od.
27	Pasi
28	Parna
29	Pherera

30	Sarhai
31	Sarhai
32	Sansi, Bhedkut, Manesh
33	Sansoi
34	Sepela
35	Sarera
36	Sikigar
37	Sirkiband

अब मै चमार भी भाामिल है और दूसरी बरादरियो भी भाामिल है चमार, बाल्मीकि और धानक ज्यादा म ाहूर हो गये लेकिन दूसरे इतने ज्यादा नही हुए। जबकि सरकार की और से सभी को बराबर सुविधाए दी जाती है।

Shortage of Nationalised Text Books

***1019 Chaudhri Kundal Lal:** Will the Minister of State fro Education pleased to refer to part b of the answer to starred question No. 954 given on the floor of the House on 19-3-1985 and State_

(a) whether the National Text Books and available in teh market suffecient the current academic year

(b) if the reply to part a above be in the negtive the reasons therefor and

(c) whether there is any proposal under cansideraion of the Government to cotrust the work of priniting publishing of the said text books to the private sector to over come the shortage ?

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra):

(a) yes

(b(Question does not arise.

(c) No. However, some books have been got printed from privat printers also in order to suplement teh capacity of Govt Printing Press.

चौधरी कुन्दल लालः अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने चूकि अपने जवाब मे हाउस को वि ावास दिलाया है इसलिए मै उनका धन्यवाद करता हूं

श्री जगदी ा नेहराः धन्यवाद

ताराकित प्र ान सख्या 1028

यह प्र ान पूछा नही गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य श्री राम बिलास भार्मा सदन मे उपस्थित नही थे।

Press percentage of students in the Governmetn Colleges

***1033 Chaduhri Balvir Singh Grewal:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) the class wise pass percentage of students in various Governmetn College in the State during the years 1982-83, 1983-84 and 1984-85 ; and

(b) the steps if any, taken or proposed to be taken to further improve the pass percnetage as preferred to in part (a) above?

श्री अध्यक्षः इस प्र न के लिए गवर्नमैंट ने ऐक्सटै ान मांगी है जो कि ग्रान्ट कर दी गई है इस बारे मे सम्बन्धित मंत्री से आया पत्र इस प्रकार हैः—

अन्तिमर उतर

	अ0स0 पत्राक 39/5/8/ि ा—1 (3)
''जगदी ा नेहरा	ि ाक्षा विभाग
	दिनांक 26 सितम्बर 1985

विशयः— तारकित विधान सभा प्र ान न0 1033

प्रिय सरदार तारा सिंह जी,

कृपया चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल विधायक द्वारा पूछे गये ताराकित विधान सभा प्र ान न0 1033 जिसका उतर इस अधिवे ान की कार्य सूचि के अनुसार दिनांक 26.9..1985 को देय है की और ध्यान देने की कृपा करे।

2 इस प्र ान मे मांगी गई सूचना बहुत ही विस्तृत है जिसे राज्य के 34 राजकीय कालेजो से एकत्रित किया जाना है सूचना एकत्रित की जा रही है परन्तु पूणर्प सूचना प्राप्त होने मे कुछ समय लगने की सम्भावना है। अत मेरी प्रार्थना है कि इस प्र ान का उतर देने के लिए कृपया दो मास का समय प्रदान करने का कश्ट करे।

सादर

आपका

ह0/—

जगदी ा नेहरा

श्री तारा सिंह

अध्यक्ष हरियाणा विधान सभा

चण्डीगढ

Road bridge on Rampur Distributary

***1204 Shrimati Sharda Rani:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(A) whether the Government is aware of the fact that road bridge over Rampur Distributary near Village Bahablapur is in a damaged condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to re construct the said bridge and

to set right the embankments of the said distriburary toghethwith the time by which teh proposal is likely to materialise ?

Irrigation and power Minister(Chaushri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes, only to the extent that its parapet walls were demaged which stand repaired

(b) Yes, a proposal for the construction of a new bridge is under teh consideration of P.W.D (B&R).The banks of the Distributasry have been reparired and are in good shape.

श्रमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उस मे लिख है कि इस डिस्ट्रिब्यूटरी की ऐम्बैकमैटस की अच्छी पोजी ान है मै मंत्री जी ने निवेदन करूगी कि क्या वहा पर किसी अधिकारी को देखने के लिए भेजगे क्योकि इन ऐम्बैकमैटस की पोजी ान ठीक नही है दूसरे मै सारे ऐम्बैकमैटस की बात नही कर रही, मै तो उनको बात कर रही है जो पूल के साथ साथ है जाहा तक रामपुर डिस्ट्रिब्यूटरी के ऊपर पुल की बात है, इसकी पोजी ान ठीक नही है बे ाक आप अधिकारी भेज कर पता करवा लें।

चौधरी भाम ोर सिह सुरजेवालाः रामपुर डिस्ट्रिब्यूटरी का पुल जो कि गांव बहाबलपुर के पास है आ0डी 31780 पर वी0सी0बी0 बहुत पुराना बना हुआ है उस वक्त सडक बनी थी। कच्चा रास्ता था। इसी के हिसाब से इरीगे ान डिपार्टमैंट ने यह पुल बनाया था जिसकी चौडाई 12 फुट है लेकिन अब सडक बन गई है। जब इस पल पर से बडे वहिकल्ज गुजरते है तो पैरापिटस बाल्ब टूट जाते है क्योकि ब्रिज

तग है। जब ये टूट जाते है तो सरकार इनको रिपेयर करवाती है। अब बी0एड0आर0 डिपार्टमैंट मे रोड ब्रिज बनाने के लिए प्रपोजल बनाई जाती है। जिसके मुताबिक यह पुल 24 फुट चौडा होगा। यह हो सकता है इनके सवाल पुछने के बाद इस पुल की रिपेयर हो क्योकि मैने आज अफसरान से डिस्क ान के दौरान पूछा था कि इस ब्रिज के पैरापिटस बना दिए है तो उन्होने कहा था कि पैरापिटस बना दिए है और मिटटी भी डलवा दी है। अब डिस्ट्रिव्यूटरी के बैक्स को स्ट्रेन्थन कर दिया है हो सकता है आपके सवाल पूछने के बाद मिटटी डाली हो ।

श्रीमती भारदा रानीः जनबा, जो जवाब हमे दिया क्या उसमे बी पार्ट मे इन्होने यह कहा है।

Yes A proposal for the construction of a new bridge is under the consideration of PWD (B&R). The banks of the Distircbutary are, however, in good shape.

मै आपकी पी0डब्लू0डी0 (बी0 एण्ड आर0) मिनिस्टर साहब से अण्डर कसीड्रेसन किस स्टेज पर है ? क्या सरकार इसको जल्दी ही बना देगी या नही ?

श्री अध्यक्षः आप तो खुद मिनिस्टर है पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर के बाद टैडी आन्सर कैसे होगा ?

चौधरी भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मै इनको यह बता देता हूं कि मैने आज ही बी0 एण्ड आर0 के चीफ इजीनियर से इस बारे मे

बात की है उन्होने यह कहा है कि पता करके हम इस पुल को जल्दी ही बनावा देगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्र ान।

तराकित प्र ान सख्या 1041, 1043 व 1002

ये प्र ान पूछे गए क्योकि इस समय माननीय सदस्यगण सर्वश्री सेठ राम दास धमीजा, चौधरी कुलबीर सिंह मलिक, डा0 भीम सिंह दहिया, क्रम ा सदन मे उपस्थित नही थे।

Matching Grants

***1016 Chaudhri Surender Singh:** Will the Minister for Development and Panchyats be pleased to state-

(a) the district wise total number of matching grants given during the period from 1-4-1980 to 30-6-1985

(b) the district wise number of application for Matching Gants with their deposited amount pending as on 30-6-1985 toghether with the dates since when such application are lying pending ?

Development Minister (Chaudhri Rajinder Singh)

(a) & (b) The information is given in the statement placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Name of district	In Rs.

Ambala	3328930
Bhiwani	3918202
Faridabad	2994002
Gurgoan	2072000
Hisar	4423880
Jind	4414000
Karnal	5111310
Karukshetra	4911608
Mohindergarh	2383482
Rohtak	3978820
Sonepat	3393234
Sirsa	2290164
Total	43219632

(b) Name of District	No. of applieations ending as on 30-6-1985	Amount dsposited	Date since pending
Ambala	20	228000	2-2-84,23-2-884,24-5-85,5-6-84,26-7-84,30-8-

			84,6-9-84,10-9-84,12-9-84,14-9-84,19-10-84,19-10-84,5-11-84,22-2-85,25-3-85,25-3-,85,4-4-85,10-4-85,29-5-85, &8-6-85
Bhiwani	22	252510	9-3-84,18-10-84,18-10-84,31-10-84,19-11-84,18-2-1985,10-5-1985,25-4-85,10-4-85,3-5-85,15-5-85,31-5-85,7-5-85,16-1-85,11-2-85,28-1-85,27-10-84,16-2-85,7-8-84,6-9-84 and 6-5-85
Faridabad	8	150500	14-5-85,19-6-85,20-2-85,5-4-85,8-4-85,18-63-85,17-5-85 and 17-5-85
Gurgaon	NIL	Nil	Nil
Hisar	14	450700	29-11-84,6-11-84,13-3-85,16-3-

			85,27-3-85,14-5-85,17-5-85,3-6-85,28-6-85,29-6-85, and 29-6-85
Jind	21	709100	22-3-84,7-6-84,12-7-84,23-7-84,7-7-84,26-7-84,30-7-84,15-8-84,7-9-84,10-9-84,13-9-84,17-9-84,18-9-84,1-10-84,3-10-84,3-10-84,8-4-85,17-4-85,17-4-85,1-5-85 & 1-5-85
Kathal	7	255420	10-1-85,11-9-84,5-10-85,19-4-85,23-3-85,12-3-85 &6-2-85
Kurskshetra	9	194601	15-3-85,26-3-85,27-3-85,27-3-85,27-3-85,27-3-85,31-5-85,and 2-4-85
Mohindergarh	29	313508	7-9-84,6-9-84,8-10-84,1-8-84,25-6-84,17-10-84,12-10-84,11-

			10-84,18-4-85,2-9-84,11-6-84,6-7-84,21-2-85,31-3-1-85,19-3-84,15-10-84,23-2-85,15-11-84,30-3-84,17-12-84-,23-2-85,21-2-85,22-4-85,5-6-85,1-6-85 and 12-11-84
Rohtak	6	58000	23-8-85,25-3-85,1-10-84,11-3-85,16-3-84, & 15-3-84
Sonepat	17	613527	29-5-84,16-1-85,16-1-85,24-1-85,28-1-85,29-1-85,24-1-85,30-1-85,7-2-85,14-3-85,1-4-85,23-4-85,3-4-85,30-5-1985,23-4-85,3-4-85,30-5-85,17-5-1985,19-6-85, and 17-6-85
Sirsa	10	245750	12-11-84,26-11-84,26-11-84,17-

			12-84,15-1-85,15-1-85,15-1-85,11-2-85,25-2-85,15-3-85 and 28-2-85
	163	3771616	

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि बहुत डिस्ट्रिक्टस मे करीब एक साल से ज्यादा लम्बे अर्से से मैचिंग ग्रान्टस के लिए ऐप्सीकसन्ज पैडिग पडी है। इनके लिए सरकार के पास राि ा जमा कराई जा चुकी हैं मैचिग ग्रान्ट का फायदा गांव के लोगो को उसी वक्त मिलना चाहिए। जिस नीयत से मैचिंग ग्रान्ट भुारू की गई थी मै यह कहूगा कि यही रहनी चाहिये। 1984 से पहले की ऐप्लीके ान्ज तो सरकार ने सारी डिस्पोज आफ कर दी है लेकिन अभी करीब एक साल तक की एप्ली ान्ज बकाया है। मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहूगा कि वह यह बतायेगे कि भविश्य मे क्या इस बात के लिए कोई समय निर्धारित करेगे। क्योकि ऐप्लीके ान आने के एक महीने मे या दो महीने मे या ज्यादा से ज्यादा तीन महीने मैचिंग ग्रान्ट को राि ा दे दिया करेगे ?

चौधरी राजेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, 1985 की जो ऐप्लीके ान्ज आज तक पैडिग थी हमने उन सब का निपटारा कर दिया है। हमने इनका निपटारा 1.7.85 को ही कर दिया थां इनका क्वै ाचन यह था कि क्या इसके लिए कोई समय निर्धारित करेगे, जहा तक समय

निर्धारित करने की बात का ताल्लुक है यह सम्भव नही क्योकि इसमे कुछ ऐसी बाते है जिनके ऊपर यह डिपैड करती है। जैसे एस्टीमेटस, प्रिपेयर करना, एस्टीमेटस की सैक ान होना आदि। कई बार रूपया तो जमा कर दिया जाता है लेकिन जिस काम के लिए वह पैसा जमा कराया गया है, वह मजूर ही नही हुआ है जैसे कोई डिस्पैसरी बननी है या मबे ि ायो के लिए अस्पताल बनना है। इसके अलावा जमीन की बाकायदा तौर पर ट्रांसफर करनी पडती है जब तक जमीन गवर्नमैंट के नाम ट्रासँफर ने हो तब तक काम आगे नही चल सकता। ऐसी हालता मे कई बार देर हो जाती है। हमारी तरफ से कोई देर नही होती है। हमारी तरफ से तो जब पैसा जमा कर दिया जाता है तब ही दे दिया जाता है भिवानी के बारे मे मै यह कहना चाहता हू कि वहा पर इन्होने 5 लाख जमा कराया है जबकि हमने 11 लाख रूपया दिया है और एक लाख रूपया ज्यादा दे रखा है। मै इतना ही कहना चाहता हू कि हमारी तरफ से कोई डिले नही है। हमारा पास रूपया है। जितना भी रूपया चाहो तो फारमैलिटीज पूरी पूरी होने के बाद हमारे पास कोई समय निधार्रित नही है। हम फौरन ही रूपया डिलीज कर देते हैं।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः मेरा सवाल यह समझ नही पाये या मै इनको पूरी तरह से समझा नही पाया।

श्री अध्यक्षः आप मंत्री जी के चैम्बर मे जा कर डिस्कस कर लो।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः इनका चैम्बर 9वी मजिल पर है। (हंसी)

श्री अध्यक्षः पूछिये।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः इन्होने यह कहा है कि कई बार यह होता है कि जिस काम के लिए मैचिग ग्राण्ट मांगी जाती है उनकी सेक ान नही होती जै से डिस्पैसरी या प ुाओ के लिए अस्पताल के लिय। 80 प्रति ात केसिज ऐसे मैचिंग ग्रान्ट के होते है जिसके लिए गवर्नमैंट की मजूरी की जरूरत नही होती जैसे हरिजन चौपालो के पूरा करने के लिए कुए पक्के करने के लिए या पचायतो के स्कूल की बिल्डिग मे 4.—5 कमरे बनाये जाए। इनके लिए गवर्नमैंट की सैक ान की जरूरत नही है।

श्री अध्यक्षः आप डायरैक्ट क्वै चन क्यो नही पूछते कि जहा पर सैक ान की जरूरत नही है। वहा पर कितनी देर मे मैचिग ग्रान्ट दे देगे ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः जहा पर सैक ान की जरूरत नही है वहा पर हम दूसरी फारमलिटीज अगर जरूरी हो तो पूरी करके डायरैक्ट ही मैचिग ग्रान्ट दे देते है ंआप ऐप्लीके ान्ज देते। हमने तो डिप्टी कमि ानर, मिनिस्टर साहेबान, पलियामैट सैक्रेटी साहेबान, चीफ मिनिस्टर साहब, बी0डी0ओ0 की मार्फस ऐप्लीके ान्ज ली है। जहा तक चौपालो को मैचिंग ग्रान्ट देने का ताल्लुक है हमे यह देखना पडता है कि आया जमीन उनके पास है। या नही । आया जिस प्लाट पर उन्होने चौपाल बनानी है वह उनके पास है और उसकी मल्कीयत उसकी अपनी है । हम तो रूपया भेज देते है। वह रूपया डिप्टी कमि ानर के पास

पडा रहता है फिर झगडे होते है कुछ हरिजन कहते है कि इधर होनी चाहिये कुछ कहते है कुछ कहते उधर नही होनी चाहिये ऐसे मामले अक्सर होते रहते है जंहा तक मैचिग ग्रान्ट देने का ताल्लुक है इस लिबरल तौर पर बिना देर किये देते है ।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो यह कहा है कि इनके पास मैचिग ग्रान्ट के लिए बहुत रूपया है वह बहुत ही खु ाी की बात है। पिछले दिनो पंचो और सरपचो के सामने वह बताया गया था कि कुछ पचायते ऐसी है जिनके पास पैसे नही है। पचायतो के पास पैसा न होने की वजह से वहा पर कोई लाभ नही हो सकता । क्या मंत्री महोदय उन पचायतो को एन0आर0ई0पी0 या आर0एच0जी0पी0 के तहत कुछ पैसा देगे ताकि वह पचायते भी अपने यह पर कुछ काम करवा सके ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह तो सैपरेट क्वै ाचन है इसके लिए पसग नोटिस होने चाहिये।

श्री अध्यक्षः यह सैपरेट क्वै चन नही है। मैने पढा है । यह स्कीम आपने भी मानी है।

चौधरी राजेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, एन0आर0ई0पी0 और आर0एल0जी0पी0 की स्कीमो के तहत 50:50 का योगदान है लेकिन जहा तक मैचिग ग्रान्ट का ताल्लुक है वह एक अलग बात है। इन्होने यह कहा है कि पचायतो के पास रूपया नही है। अगर किसी पचायत के

पास पैसा ही नही है तो फिर उसे मैचिग ग्रान्ट कैसे दी जायेगी ? मैचिंग ग्रान्ट तो तभी दी जायेगी जब कोई पैसा देगा।

श्री अध्यक्षः चौधरी भले राम जी का कहना चाह है कि जिन गांवो के पास कोई फड्ज नही है जिन पचायतो की कोई आमदनी नही है वहा पर काम कराने के लिए आप की क्या कोई स्कीम नही है ?

चौधरी राजेन्द्र सिंहः उनको हम एन0आर0ई0पी0 के तहत पैसा देगे। (व्यवधान एवम भाोर)

श्री भले रामः स्पीकर साहब, बहुत से गावो मे हरिजन चौपाले या जो कुए है वह पैसे की कमी वहज से अधूरे है उनको पैसा देने मे क्या अडचन है ? क्यो नही इनको पूरा करने के लिये पैसा दिया जाता जबकि पैसा लैप्स होने लग रहा है। जहा पर जरूरत है वहा पर 5000 या इससे कम या जरूरत के मुताबिक ज्यादा भी क्यो नही दिया जाता ?

मुख्य मत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जहा तक चौपालो का ताल्लुक है अभी एक हफते पहले मैने एक मीटिग की थी उसमे सो ाल वैल्फेयर मिनिस्टर भी थे। उसमे उन्होने यह कहा कि बहुत सी चौपाले स्टेट मे अधूरी पडी है इसके लिये कुछ पैसा हमे दिया जाये । हमारी सरकार ने अभी तीन दिन पहले ही 50 लाख रूपया सो ान वैल्फेयर डिपार्टमैंट को इसलिए दिया है ताकि जो चौपाले अधूरी पडी है उनको पूरा किया जा सके। मै सदन को वि ावास दिलाना चाहता हू कि स्टेट मे जितनी भी चौपाले अधूरी पडी है एक साल के अन्दर अन्दर उनको कम्पलीट कर दिया जायेगा। इस डिपार्टमैट

का इस साल का 16 लाख रूपये का बजट है। हमने इस को 50 लाख रूपया और भी दिया है। (थम्पिग)

Castes of suicides in the State

***1035 Chaudhri Kundan Lal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of cases of suicide committed by the women registered during the year 1984-85.

(b) the number of women, if any, out of those referred to in part (a) above who committed suicide on account of dwty dispurtes; and

(c) the details of measures, if any, adopted to check such deaths. ?

मुख्य मत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) (ख) व (ग) सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

	वर्श	स्त्रियो की आत्महत्याओ की सख्या
(क)	1984	312
	1985(31 अगस्त तक)	286

(ख)	1984	40
	1985(31 अगस्त तक)	66
(ग)	इन हत्याओ को रोकने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये है:–	

(1) जिला पुलिस अधीक्षको को कडे निर्दे ा दिये गये हैं कि वे युवा औरतो की मोत के मामले मे जहा किसी धोखे (फाऊल पलें) का भाक ही अथवा किसी प्रकार की ि ाकायत हो, तो ऐसे प्रत्येक मामले मे उचित धारा के अधीन फौजदारी मुकदमा दर्ज यिका जाए। ऐसे सभी मामलो की वि ोश रिपोर्ट अभियोग समझा जाता है और एक राजपत्रित अधिकारी की व्यक्तियो देख रेख मे इसका अनुसधान किया जाता है।

(2) भारतीय दण्ड सहिता मे नई धारा 498 ए के लागू होने पर जो पति ही उसका सम्बन्धी, अपनी बहु पर अत्याचार करता है, चाहे वह भाारीरिक हो या मानसिक हो? उसके विरूद्ध पर एक फौजदारी मुकदमे दर्ज किया जा सकता है। जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से मुकदमे इस धारा के अन्तर्गत दर्ज हुए है और इससे इन आत्महत्याओ की सख्या को कम करने मे सहायता मिली है।

Mr. Speaker: Hon, Members Question hour is over.

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Creation of posts of Head Clerks, Deputy Superintendents and Superintendents in the education department

***192 Shri Hira Nand Arya:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) the number of posts of Head Clerks, Deputy Superintendents and Superintendents created at the sub-Division, District and Directorate level in the Education Department in the State separately during the period from 1-1-1972 to 30-6-1985 together with the criteria on the basis of which the said posts were created in the aforesaid offices; and

(b) Whether any post of Class I officers are lying vacant at present in the Education Department; if so, the time by which the same are likely to be filled up?

ि ाक्षा राज्य मन्त्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) ि ाक्षा विभाग में जिला तथा उप मडल स्तर पर दिनांक 1—7—72 से 30—6—85 तक अधीक्षको तथा मुख्य लिपिकों के निम्नलिखित पद सृजन किये गये है—

पद संख्या	पदों की संख्या
अधीक्षक	6

मुख्य लिपिक	47
उप–अधीक्षक	भून्य

अधीक्षकों तथा मुख्य लिपिकों के पदों को सृजन करने हेतु मानद.ड निम्न प्रकार है–

स्कूल पक्ष

(1) जिला ि ाक्षा अधिकारी के प्रत्येक कार्यालय में एक अधीक्षक तथा एक मुख्य लिपिक के पद की व्यवस्था की जाती है।

(2) उप–म.डल ि ाखा अधिकारी के कार्यालय के लिए एक मुख्य लिपिक की व्यवस्था की जाती है।

महाविद्यालय पक्ष

जिस महाविद्यालय में छात्र की संख्या 400 से अधिक है उस महाविद्यालय में एक मुख्य लिपिक की व्यवस्था की जाती है।

ि ाक्षा निदे ाालय में दिनांक 1.7.72 से 30.06.85 तक अधीक्षकों तथा उप अधीक्षकों के निम्नलिखित पद सृजन किए गए है:–

पद संख्या	**पदों की संख्या**
अधीक्षक	6
मुख्य लिपिक	47

उप–अधीक्षक	भून्य

ि ाक्षा निदे ाालय में अधीक्षक तथा उप अधीक्षक सहायको तथा अन्य अमले का कार्य देखते है और इन पदों का सृजन करने हेतु निम्नलिखित मानद.ड अपनाया जाता हैः –

एक अधीक्षक 5/6 सहायकों का कार्य देखता है।

एक उप–अधीक्षक 3/4 सहायकों का कार्य देखता है।

(ख) जी हां। एच0 ई0 एच0 वर्ग पद के 12 पद सेवा निवृत/मृत्यु के कार.ा रिक्त हुए थे जिनमें से 7 पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जा चुका है। भोश 5 पदों को भरने बारे भीघ्र कार्यवाही की जा रही है। इस समय महाविद्यालय में प्रधानाचार्य का कोई खाली नही पद है।

Appointment of P-T-Is- in the 10+2 system of education in schools-

201- Shri hira Nand Arya: Will the Minister of State for Education be Pleased to state-

(a) Whether any criterion has been fixed for the appointment of P-T,Is- In those school in the State where 10+2 system of Education exists;

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to adjust D-P- Eds- Against the post exiting in the school as referred to in part (a) above who are at present working as P-T-Is- in the school of 10+2 system of Education; and-

(c) Whether such P-T-Is- as have done D-P-Ed- are being appointed in accordance with the reserve quota fixed for them in the schools referred to in part (a) above ?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्र न नहीं उठाता।

Applications for tubewell connections

193- Chaudhri Hukam Singh (Salha was) : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of applications for tubewell connections lying pending with the Sub-Division, Kosli, of Haryana State Electricity Board as on 15th August, 1985 together with the period from witch the same are lying as such?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी भाम ेर सिह सुरजेवाला): 15 अगस्त, 1985 तक परिचालन उप मंडल कोसली में नलकूप मुनैक ानों के लिए आवेदन पत्रों की अनि.र्ीत पडी कुल संख्या अवधि के अनुसार नीचे दी गई है:–

3 मास तक पुरानी	58 नं0

3 मास से 6 मास तक पुरानी	96 नं0
6 मास से 1 वर्श तक पुरानी	145 नं0
1 वर्श से 2 वर्श तक पुरानी	186 नं0
2 वर्श से 3 वर्श तक पुरानी	51 नं0
3 वर्श से अधिक पुरानी	28 नं0
योग	564 नं0

132 KV Power Sub-Sation

194. Chaudhri Hukam Singh (Salha was): Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct 132 K-V- Power Sub-Station at village Matanhel (Rohtak) ; and

(b) If so the time by which the said proposal is likely to materialize?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला):

(क) हां।

(ख) सब–स्टे ान वर्श 1986–87 के दौरान चालू होना निर्धारित है।

Taccavi Loan

195- Chaudhri Hukam Singh (Salhawas): Will the Minister of State for Revenue be pleased to state—

(a) the year wise and district wise amount of taccavi loan give to the people in the State during the period from Ist November, 1966 to 31st March, 1985; and

(b) The total amount of Taccavi Loan recovered out of the amount as referred to in part (a) above up to 31st March, 1985?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोडा):

(क) तथा (ख) सूचना अनुबंध "क" पर संलग्न है।

अनुबंध

"क" 1–11–1966 से 31–3–1985 तक वर्शवार तथा जिलाकर तकाबी कर्जो की रा ि ा को लोगों को बांटी गई

वर्श	अम्बाला	करनाल	रोहतक	कुरूक्षेत्र	सोनीपत	जींद	हिसार	सिरसा	नारनौल	गुडगांव	फरीदाबाद	भिवानी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1966&67	1617832	157485 2	125000	13492 75	-	142290 5	776165	-	49650 0	96 62 00	-	-
1967-68	3927723	396477 5	150000	39778 45	-	140735 7	175683 6	-	46415 0	86 06 00	-	-
1968-69	3863613	527826 6	150000	52071 9	-	914453	136625 8	-	88565 0	18 15 50	-	-

										0		
1969-70	40007076	5120473	630000	2252352	-	1018742	791062	-	86300	1438000	-	-
1970-71	5439361	8962343	100000	6584644	-	343500	2408738	-	621000	1162000	-	-
1971-72	2945691	4314491	391000	487443	-	334000	167716	-	715900	1705000	-	-
1972-73	408484	374750	209650	181370	-	490100	333907	-	1663366	1374130	-	2097760
1973-	262900	358000	100000	24910	247000	292400	135000	-	31340	9550	-	3657

74				0					0	00		50
1974-75	551584	201300	1048656	191200	140800	714500	504010	-	3688200	1961000	-	568500
1975-76	404890	395000	1100000	342180	900000	613300	406490	650224	1149000	1042000	-	3820760
1976-77	372768	1289418	1470000	54858 4	930000	1907817	558000	80000	429450	1382500	-	172395
1977-78	376600	72055	7795321	40400	2578283	926805	298530	752839	3745910	7008650	-	218395
1978-	3832765	258204	415083	56063	236344	294390	229948	1247	41599	4524	-	1150

79		0	7	15	3	7	6	517	42	000		000
1979-80	1593706	591627	1717681	3417231	1167882	2611218	1440597	1639253	1995566	2337000	2000000	4530000
1980-81	560617	120000	-	47450	267227	486674	2231818	1813412	2911794	15000	-	2650000
1981-82	-	52000	1500000	12234 8	-	100000	3056112	1313939	2319354	245000	3000000	2650000
1982-83	-	50000	-	-	-	80000	1718193	3885371	228000	25000	-	50000
1983-	23000	105000	600000	-	-	766900	215856	2136	19600	5212	-	4250

84			0				7	052	0	50		0
1984-85	10000	50000	-	-	-	69500	1378860	1840716	55200	32500	-	34700
कुल जोड	30288610	35456390	26638145	25918456	9594555	17474878	23785245	15359393	26901382	29465730	23000000	26176260
ख 31–3–85 तक की कुल तकावी कर्जो की वसूली												
	29765578	34207601	17045776	25323449	3888196	16335969	17733419	1128852	22508468	20590556	14647814	

Supply of Electricity from Sub-Division, Kosli

203. Chaudhri Hukam Singh (Salhawas): Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether Sub-Division, Kosli of Haryana State Electricity Board has supplied electricity to the farmers of the said Sub-Division according to the fixed policy/schedule of the Board during the period from 30.12.1984 to 15.8.1985; and

(b) if not, the reasons therefore?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला) :

(क) हॉ, बिजली की उपलब्धाता पर निर्भर है।

(ख) उपरोक्त (क) के दृश्टिगत प्र न ही नहीं उठता।

Ratio of Punjab and Haryana employees on deputation to Chandigarh Administration

196. Shri Fateh Chand Vij: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the ratio at which the Punjab and Haryana Government Class—I,II,III, and IV officers/officials are taken on deputation in the Chandigarh U.T. Administration; and

(b) whether the Haryana Government Class-I,II,III and IV officers/officials were taken on deputation in the said administration in accordance with the ration referred to in part

(a) above, if not, the reasons thereof together with the steps, if any, taken to get the deficiency made up ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क) संयुक्त पंजाब के पुनर्गठन के समय भारत सरकार, गृह मन्त्रालय ने मुख्यायुक्त चण्डीगढ़ प्र ाासन के अधीन सभी विभागों के काडर को नि चत करने वारे अपनी मंजूरी देते समय यह व्सवस्था की थी कि चण्डीगढ़ प्र ाासन के विभागों के वर्तमान पर मुख्यतः पंजाब/हरियाणा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर ले कर भरे जाएंगे पंजाब/हरियाणा के अधिकारियों/कर्मचारियों को चण्डीगढ़ प्र ाासन में किस अनुपात में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना है, इस बारे भारत सरकार ने कभी भी कोई जिकर नही किया था।

(ख) उपरोक्त 'क' भाग में दिए उत्तर की रो ानी में, इस भाग का उत्तर देने का कोई प्र न ही नहीं उठता।

Auction of Liquor vends

197. Shri Fatch Chand Vij: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state the year wise and district wise number of Indian made foreign liquor and country wine vends auctioned in the State separately during the years 1984-85 and 1985-1986?

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है:—

1984–85			1985–86		
संख्या	जिला	अंग्रेजी भाराब के ठेकों की संख्या	दे ाी भाराब के ठेकों की संख्या	अंग्रेजी भाराब के ठेकों की संख्या	दे ाी भाराब के ठेकों की संख्या
1	हिसार	30	61	30	60
2	रोहतक	34	54	35	56
	गुडगावा	22	26	23	26
3	करनाल	34	77	34	74
4	अम्बाला	34	56	33	56
5	जींद	15	51	15	52
6	नारनौल	21	54	19	54
7	भिवानी	16	55	16	56
8	सोनीपत	22	37	22	37
9	कुरूक्षेत्र	24	78	24	75
10	सिरसा	16	55	15	55

11	जगाधरी	11	17	11	17
12	फरीदाबाद, पूर्व	21	21	21	21
13	फरीदाबाद, पि चम	27	36	29	35
	जोड	327	678	327	674

Elections to Municipal Committee

198. Shri Fateh Chand Vij: Will the Minister of State for Local Government be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to hold the Municipal Elections in the State, and

(b) if so, the time by which the said elections are likely to be held ?

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा महाजन):

(क) हां।

(ख) वर्श 1981 की जनगणना के आधार पर वार्ड बन्दी तथा मतदाता सूचियों की तैयारी का कार्य तेजी से सम्पन्न किया जा रहा है और इसके 31—12—85 तक समाप्त होने की संभावना है। तत्प चात हरियाणा नियमावली 1978 (सं ाोधित) के नियम 19 के

तहत अन्तर्गत 2 मास की अवधि जो कि नियमों के अधीन आव यक है बरकरार होगी।

(ग) राज्य सरकार 31–12–85 के प चात नगरपालिकाओं की वार्ड बन्दी तथा मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य की समाप्ति के तुरन्त बाद प्र ासकीय सुविधाओं तथा हरियाणा नगरपालिका नियमावली 1978 के नियम 19 में निहित 2 मास की स्टेचुटरी पीरियड को मददेनजर रखते हुए चुनावों की तिथि नि चत करने बारे निर्णय लेगी।

Construction of by Passes

199. Shri Fateh Chand Vij : Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to Construct traffic bye passes along the various cities in the State; if so, the names of such cities ; and

(b) whether any by passes out of those referred to in para (a) have been included in the Seventh Five Year Plan; if so, the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री अमर सिंह):

(क) जींद उचाना सोनीपत (फ्रेज–1) व ढांड वाई पासिज का निर्माण पहले से ही प्रगति पर है। इसके अलावा नया गांव, धीब, नोंची, बारू, मच्छगढ, सफीदों व सोनीपत (फेज–2) के साथ 7 बाई पासिज के निर्माण का अनुमोदन किया जा चुका है तथा इनका

निर्माण स्टेट फण्डज में से किया जाना है। इन बाई पासिज पर कार्य अभी भारू किया जाता है।

(ख) अनुमोदित सातवीं पंचवर्शीय योजना में 52.00 कि0मी0 की लम्बाई के बाई पासिज के निर्माण की व्यवस्था है। इन पर 212.00 लाख रूपये व्यय होंगे।

Sewerage system is Safidon

199. Chaudhri Kundan Lal : will the Minister for Public Health be pleased to state-

(a) whether the construction work of sewerage system in Safidon Mandi is in progress; if so, the time by which it is likely to be completed ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sewerage in Safidon town; if so, the time by which the said proposal is likely to materialize ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमति प्रसन्नी देवी):

(क) हां, कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई समय निर्धारित किया जाना संभव नहीं है क्योंकि यह धनरािा तथा आवयक सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ख) हां राज्य सैनेटरी बोर्ड ने इस योजना को पहले ही प्रािासनीय अनुमोदन प्रदान किया हुआ है तथा आंिाक धनरािा

प्रदान की जा चुकी है फिर भी कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई समय निर्धारित किया जाना संभव नहीं है क्योंकि यह धनराि ा तथा आव यक सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

1. सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान हरियाणा विधानसभा के रूल्ज आफ प्रोसीजन एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 58(1) के अनुसार मुझे हाउस को इंफार्म करना है कि सर्वश्री देवी लाल और मंगल सैन और श्रीमति चन्द्रावती have resigned their seats in the Haryana Legislative Assembly vide their letters dated 14-8-85, 14-8-85 and 30-8-85 and the same have been accepted on 16-8-85, 16-8-85 and 9-9-85 respectively.

2. पैनल आफ चेयरमैन

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 13(1) के अनुसार मैं फलोडिंग मैम्बर्ज को पैनल आफ चेयरमैन में काम करने के लिए नोमीनेट करता हूं।

1. श्री एसी चौधरी

2. श्री इन्द्र सिंह नैन

3. श्री रो ान लाल आर्य

4. डा0 भीम सिंह दहिया

3. कमेटी आन पैटी ांज

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 286(1) के अनुसार मैं फलोडिंग मैम्बर्ज को पैनल आफ चेयरमैन में काम करने के लिए नोमीनेट करता हूं।

1. चौधरी वेदपाल, उपाध्यक्ष पदेन सभापति

2. श्री बलवीर सिंह ग्रेवाल

3. श्री धर्मवीर गाबा

4. श्री रो ान लाल आर्य

सचिव द्वारा घोशणा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान, अब सैकेटरी साहब अनांउसमैंट करेंगे।

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Budget (March) Session, 1985, and have since been assented by the Governor.

STATEMENT

1. The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1985.
2. The Payment of Wages (Haryana Amendment) Bill, 1985.
3. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1985.
4. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1985.
5. The Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill, 1985
6. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1985.
7. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1985.

वि ोशाधिकार का प्र न

अपने कर्तव्यों को निभाने में अध्यक्ष की निशपक्षता पर आक्षेप करने के लिए डा0 भीम सिंह दहिया, एमएलए के विरूद्ध

Mr. Speaker : Hon. Members, I have received a notice of question of breach of privilege from Shri Phool Chand (Mullana), M.L.A. against Dr. Bhim Singh Dahiya, M.L.A. for casting reflection on the impartiality of the speaker in the discharge of his duties. I give my consent to the raising of this question and hold that the matter proposed to be discussed os in order and I call upon Shri Phool Chand (Mullana), M.L.A. to rise and ask for leave to raise the question of breach of privilege.

Chaudhri Pool Chand (Mullana) : Sir, I beg to ask for leave to raise a question of privilege based on the daily 'Indian Express'. Dated 16th September, 1985containing the news item "Lok Dal M.L.As., refuse to meet the Speaker."

According to the said news item the Lok Dal Legislature Party Chife Whip, Dr. Bhim Sing Dahiya, said in a joint communication conveying the decision of the Lok Dal M.L.As., who had submitted their resignation from the State Assembly in Protest against Punjab Accord. That they had declined to appear before the Speaker. The said Communication contains the following :--

"Dr. Bhim Singh Dahiya also pointed out to the Speaker that the Chief Minister of Haryana has been making statements about these resignations and "it seems you have been acting on his advice."

We have been observing for the last three years that the Chief Minister seems to treat you as his junior colleague in the Cabinet of the Government without any independent charge and attached to the Chief Minister. All this is very sad and amounts to lowering the dignity of the august House. In fact your violation of Article 190(3) and your acting on the advice of the Chief Minister also amounts to contempt of the House."

According to the news item, talking to newsmen Dr. Dahiya said that the Speaker was enquiring into their resignations like a police officiate. He added, "We will not submit before these kings of tactics."

The Lok Dal Leader Urgent the Speaker to act impartially and be fair to the members who had submitted their

resignations for accepting the same without further delay. All the said observations cast reflection on the impartiality of the Speaker in the discharge of his duties.

The matter relates to a specific matter of recent occurrence and requires the interventions of the Assembly.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, जिस आनेरबल मैम्बर के खिलाफ यह प्रोविलेज मो ान आया है वह खुद हाउस में हाजिर नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अखबार में खबर की बिनाह पर यह मो ान आया है मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पहले भी यहां पर मैम्बर्ज के अगेस्गट प्रिविलेज मो ांज आए है। चौधरी देवीलाल के खिलाफ प्रिविलेज मो ान आया लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ और चौधरी देवीलाल ने असैम्बली से रिजाइन कर दिया। Therefore, automatically that motion died its own death. वह आटोमेटीकली खत्म हो गया। इस हाउस की टर्म डेढ साल बाकी है और मैं समझता हूं कि इस प्रिविलेज मो ान में भी कुछ नहीं होगा....

श्री अध्यक्षः उनके रैजीगने ान से प्रिविलेज मो ान खत्म नहीं हो जाता।

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं। अन्डर दि ला अखबार की खबर की बिनाह पर कोई ऐक ान नहीं लिया जा सकता।

Mr. Speaker: You are wrong there.

श्री लछमन सिंहः आपने खुद की कहा है कि अखबार की न्यूज के बेसिज पर हाउस में कोई ऐ ान नहीं लिया जा सकता। खैर कोई बात नहीं। आप प्रिविलेज मो ान ऐक्सपर्ट कर लीजिए। आजकल प्रिविलेज कमेटी के पास कोई काम भी नहीं है।

श्री अध्यक्षः हिन्द समाचार वाले दिल्ली हाइकोर्ट में काफी मांग कर आए है।

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, जितने भी लोकदल के मैम्बर्ज थे उन्होंने ज्वायंटली रिजाईन किया था और सब के साथ एक जैसा ही फैसला होना चाहिए था। यह जो आपने पिक एण्ड चूज की पालिसी इख्तयार की है। यह ठीक नहीं है श्रीमति चन्द्रावती जी का इस्तीफा आपने इसलिए मंजूर कर लिया कि वे किसी के प्रे ार में नहीं आ सकती। आप ने स्पीकर साहब, यह कैसे परज्यूम कर लिया। इसलिये मैं आपकी के प्रै ार में नहीं आ सकती और दूसरे जो प्रौफेसर सम्पतसिंह और हुडडा साहब जैसे मैम्बर्ज है वे किसी के प्रै ार में आ सकते हैं इसलिये मेरी अर्ज है कि आपकी लेडी मैम्बर के बारे में जो एप्रोच है वह सही नहीं है।

श्री अध्यक्षः राव साहब यह बात ठीक है कि she was the leader of the apposition उनके उपर कोई प्रै ार नहीं था और इसके इलावा बात यह है कि she met me personally at the residence and that is why I accepted her resignation दूसरों को भी मैं इंडीविजुअली बुलाना चाहता हूं। इस

बारे में मैं प्रैस में भी नहीं कह चुका हूं वे मेरे पास आएं और आकर वह कह दें। I will at once accept their resignation.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब क्या वे पर्सनली नहीं आयेगे?

श्री अध्यक्षः सरदार लछमन सिंह जी अगर आप 10–20 आदमी इक्टठे करके ले आओ और यह कह दो कि यह खडे हो गये है। तो that is not personally. जो बातें उस दिन प्रैस के सामने हुई थीं और बाद में जो स्टेटमैंट उन्होंने दी वे टाटली फाल्स स्टेटमैंट थी। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि स्पीकर साहब, मान गये थे। (विघ्न) राव साहब ने कह दिया था और मुझे कोई भाक नहीं रहा। मैंने उस वक्त भी यह कहा था कि मैं अपनी पूरी तसल्ली करूंगा यह देखूंगा कि इनके जो रैजिगने ानज है। वे वोलैन्टेरिली है या कि किसी के प्रै ार में दिए गए है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला)ः स्पीकर साहब, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। चौधरी फूल चन्द मुलाना जी ने जो अपना प्रिविलेज मो ान दिया है वह बिल्कुल आडर्र मे है और उस पर सरदार लछमन सिंह जी ने बोलते हुए जो औबजैक ान किया है उसमें कोई वजन नहीं है चूंकि प्रैस रिपोर्ट बहुत दिन पहले आ चुकी है प्रौ0 भीम सिंह दहिया इस हाउस के एक ऐजुकेटिड मैम्बर है और दूसरे जो हाउस के मैम्बर्ज है उसमें यह परज्यूम नहीं कर सकते कि उन्होंने न्यूज पेपर नहीं पढा

होगा और न्यूज पेपर पढने के बाद न उनकी कोई कंट्राडिक ान प्रैस में आई है और न कोई चिटठी ही आई है। अगर सरदार लछमन सिंह जी का यह कहना है कि प्रौ0 भीम सिंह दहिया जी की तरफ से किसी और ने छपवा दिया है या गलत छपा है ऐसी बात नहीं (विघ्न) इन्होंने प्रिज्यूम यह किया है कि चूंकि अखबार में छपा है इसलिए इसकी अथैन्टीसिटी नही है। मैं कहता हूं कि इसकी बहुत अथैन्टीसिटी है क्योंकि अगर यह बात गलत होती तो भीम सिंह जी जैसे ऐजुकेटिड मैम्बर आपको स्वयं चिटठी लिखते और इस बारे में प्रैस में अपनी कंट्राडिक ान भी इं ा कर सकते थे। खासतौर से जो लैग्वेज यूज की गई है उस बारे में हाउस के दोनों तरफ के मैम्बर्ज का फर्ज बनता है कि इस कुर्सी की इज्जत को न सिर्फ बहाल ही करे बल्कि इसको डिफैन्ड भी करना चाहिए, अपहोर्ड करना चाहिए। इसलिए यह जो मो ान मूव किया गया है यह बिल्कुल इन आर्डर है इसको प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाना उचित है। (ाोर)

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, मैंने यह कहा था कि प्रेस में जो छपता है उसकी बिना पर कोई ऐक ान नहीं लिया जा सकता। (ाोर)

Mr. Speaker : Those who are in favour of the leave being granted may please rise in their pleases.

"(Al this stage, all the members of the Treasury Benches rose in their pleases.)

Mr. Speaker : The leave is granted. Chaudhri Phool Chand may please move for referring the matter to the Committee of Privileges with a direction to report to the House upto the first sitting of the next session.

Chaudhri Phool Chand (Mullana) : Sir, I move—

That the matter be referred to the Committee of Privileges for examination and report upto the first sitting of the next session.

Mr. Speaker : Question is—

That the matter be referred to the Committee of Privileges for examination and report upto the first sitting of the next session.

The motion was carried.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव—

जिला महेंद्रगढ और भिवानी में फसल के लिए नुकसान सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर मुझे राव निहाल सिंह और चौधरी सुरेन्द्र सिंह एमएलएज की ओर से डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ और भिवानी में केास के हुए नुकसान के बारे में दो काल अटैन ान मौ ानज मिले है। मैं उनको ऐडमिट करता हूं। श्री निहाल सिंह जी अपना नोटिस पढ दें। दूसरा मो ान पढा हुआ समझा जाएगा।

Shri Nihal Singh : I want to draw the attention of the august House towards a matter of urgent public importance regarding failure of Kharif Crops in Mahendergarh district due to inadequate rainfall for the last five years. There is acute shortage of fedder in the district and it has become very difficult for the people to the district has become very poor and are not in a position to make both ends meet. The farmers and poor persons are facing great problem in repaying the loans and installments to the Government, banks and other loaning agencies. The situations demand that the State Government should take immediate steps to start relief works in the district and declare the district as 'Famine Affected Area.

1. Cheap fodder be supplied through Government agencies.

2. Recovery of loans of Government and bank be stayed and interest on the loans be written off.

3. Interest free loans be given to the need poor persons for making arrangements to get good crops in the Rabi season.

4. Relief works in the shape of construction of roads, payment of streets school, building, drinking water wells and ponds, and other such schemes be started at the earliest to generate employment among drought affected villages in the district.

I hope the Government will take note of the seriousness of the situation and come forward to help the people of the district in such a difficult situation.

Chaudhri Surender Singh: I went to draw the attention of the august House towards a matter of urgent public important that in the District of Bhiwani as a whole, and in his Constituency of Tosham and Loharu in Particular due in particular due to heavy rains, the crops worth crores of rupees have been destroyed completely. The first kharif crop sown by the farmers was destroyed dye to heavy rain and subsequent sowing met the same fate. As a result thereof, grave famine conditions are prevailing in the entire district and these constituencies. There is no fodder available for anima is and live stock is perishing. The life of farmers, who have taken loans from the Banks are facing a great difficulty in repayment of the loans. There is great resentment amongst the people and therefore, the Government is requested to take steps regarding the following measure :-

(i) Postponment of the recovery of the loans of Cooperative Department taken by the farmers.

(ii) Payment of compensation to the agriculturists for the damage caused to them because of the excessive rains.

(iii) Supply of fodder in cash or kind.

(iv) Supply of seeds on subsidized rates for the Rabi crop.

(v) Assurance of special irrigation facilities to the famine affected- areas.

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इसका जवाब हम कल देंगे।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरा काल अटैन्शन मोशन ऐक्सैस रेन से हुए नुकसान के बारे में है।

श्री अध्यक्षः मैने इन दोनो काल अटैन्शन मोशन् ा को क्लब कर दिया है। और वह पढ़ा हुआ समझा गया है। आप इस बारे में दो क्वैशचंज पुट कर लेना।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः ठीक है जी।

नियम 121 के तहत प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री रूल 121 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

That Rule 30 of the Rule of procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 26th September, 1985 and also that rule 30 of our Rules be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 26th September, 1985.

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 26th September, 1985.

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of business is the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 26th September, 1985.

Mr. Speaker : Motion moved —

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 26th September, 1985.

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 26th September, 1985.

Mr. Speaker : Question is –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 26th September, 1985.

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 26th September, 1985.

The motion was carried.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब मै वेरियस विजनैस के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा बनायी गयी टाईम टेबल रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं––

"The Committee met at 10.00 A.M., on Thursday, the 26th September, 1985, in the chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that the Assembly, whilst in Session, shall meet on Thursday, the 26th September, 1985 and Friday, the 27th September, 1985 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put and on Saturday, the 28th September, 1985 at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered on the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the business from 26th to 28th September, 1985, be transacted by the Assembly as follows: -

Thursday, the 26th September, 1985 (2.00 P.M.)

1. Obituary References.

2. Questions Hour.

3. Motion under Rule 121 for the suspension of Rule 30.

4. Presentation and adoption of the First Report of the Business Advisory Committee.

5. Papers to be laid/re-laid.

6. Presentation of Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1985-86 and the report of the Estimates Committee thereon.

7. Presentation of (three) Preliminary reports of the Committee of privileges.

8. Legislative Business (Bills for leave to introduce/introduction).

(1) The Haryana Common Purposes Land Eviction and Rent Recovery Bill, 1985.

(2) The Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill, 1985.

(3) The Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1985.

(4) The Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1985.

(5) The Haryana Legislative Assembly (Allowances and pension of Members) Second Amendment Bill, 1985.

(6) The Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities (Amendment) Bill, 1985.

Friday, the 27th September, 1985 (2.00 P.M.)

1. Oath/Affirmation.

2. Questions Hour.

3. Discussion and voting on the Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1985-86.

Saturday, the 28th September, 1985 (9.30 A.M.)

1. Questions Hour.

2. Motion under Rule 15 (Regarding non-stop sitting).

3. Motion under Rule 16 (Regarding adjournment of the Sabha sine-die).

4. Papers to be laid/re-laid.

5. **Legislative Business**

(1) The Haryana Appropriation Bill in respect of supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1985-86.

(2) The Haryana Common Purposes Land Eviction and Rent Recovery Biil, 1985.

(3) The Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Bill, 1985.

(4) The Punjab Cinemas (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1985.

(5) The Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1985.

(6) The Haryana Legislative Assembly (Allowance and Pension of Members) Second Amendment Bill, 1985.

(7) The Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities (Amendment) Bill, 1985.

अब पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर प्रस्ताव पे ा करेंगे कि हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडे ांज से सहमति प्रकट करता है।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir I move-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रसतुत हुआ––

कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई निकमैंड ांज के साथ सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्र न है––

कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडे ांज के साथ सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआा।

सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गये कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर साहब, टेबल आफ दी हाउस पर पेपर्ज ले/री–ले करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I being relay on the Table-

1. The General Administration Department Notification No. GSR/20/Const/Art. 320/Amd.(2)/84 dated the 27th February, 1984 alongwith the corrigendum dated t he 23rd April 1984, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 1984 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

2. The General Administration Department Notification No. GSR/24/Const/Art. 320/Amd.(3)/84 dated the 15th March, 1984 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1984 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

3. The General Administration Department Notification No. GSR/73/Const/Art. 320/Amd.(4)/84 dated the 12th November, 1984 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulations, 1984 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

4. The General Administration Department Notification No. GSR/26/Const/Art. 320/Amd.(1)/85 dated the 6th March, 1985 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulations, 1984 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

5. The General Administration Department Notification No. GSR/20/73/S.64 Amd.(1)/85 dated the 21th February, 1985 alongwith corrigendum dated the 6th September, 1985 (in Hindi Version) regarding the Haryana General Sales Tax (First

Amendment) Rule 1985 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

6. The Excise and Taxation Department Notification No. GSR.27/HA.20/73/S.64 Amd.(2)/85 dated the 27th February, 1985 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rule 1985 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

7. The Excise and Taxation Department Notification No. GSR.28/HA.20/73/S.64 Amd.(3)/85 dated the 27th February, 1985 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rule 1985 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Sir, I beg to lay on the Table-

8. The General Administration Department Notification No. GSR.44/HA.9/79/S 8/85 dated the 17th May, 1985 regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) First Amendment Rules, 1985 as required under Section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly Facilities to Members) Act, 1970.

9. The General Administration Department Notification No. GSR.45/HA.3/75/S 8/85 dated the 17th May, 1985 regarding the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor-Car) First Amendment Rules, 1985 as required under Section 8(2) of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

10. The Excise and Taxation Department Notification No. GSR.76/HA.20/73/S 64/85 dated the 10th September, 1985

regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1985 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

11. The Excise and Taxation Department Notification No. GSR.77/HA.20/73/S 64/85 dated the 13th September, 1985 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1985 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

12. The Transport Department Notification No. GSR.40/CA.4/73/S 24/85 dated the 4th May, 1985 regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana First Amendment) Rules, 1985 as required under Section 133 (3) of the Motot Vehicles Act, 1939.

13. The 16th Annual Report and Accounts of Haryana State Small Industries and Export Corporation Limited for the year ending 30th June, 1983 as required under Section 619-A of the Companies Act, 1956.

14. The 15th Annual Report and Balance Sheets of Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year ending 31st March, 1984 as required under Section 619-A of the Companies Act, 1956.

15. The 1st Annual Report and Accounts of Haryana Tourism Corporation Limited for the year ending 31st March, 1975 as required under Section 619-A of the Companies Act, 1956.

16. The 2nd Annual Report and Accounts of Haryana Tourism Corporation Limited for the year ending 31st March,

1976 as required under Section 619-A of the Companies Act, 1956.

17. The 3rd Annual Report and Accounts of Haryana Tourism Corporation Limited for the year ending 31st March, 1977 as required under Section 619-A of the Companies Act, 1956.

18. The 4th Annual Report and Accounts of Haryana Tourism Corporation Limited for the year ending 31st March, 1978 as required under Section 619-A of the Companies Act, 1956.

19. The 5th Annual Report and Accounts of Haryana Tourism Corporation Limited for the year ending 31st March, 1979 as required under Section 619-A of the Companies Act, 1956.

20. The 6th Annual Report and Accounts of Haryana Tourism Corporation Limited for the year ending 31st March, 1980 as required under Section 619-A of the Companies Act, 1956.

21. The 17th Annual Report and Accounts of Haryana Warehousing Corporation for the year ending 31st March, 1984 as required under Section 31(II) of the Warehousing Corporations Act, 1962.

22. The 9th Annual Report and Accounts of Haryana Seed Development Corporation Limited for the year ending 31st March, 1983 as required under Section 619-A (3) of the Companies Act, 1956.

वर्श 1985–86 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स (पहली किस्त) पे ा करना

श्री अध्यक्ष : अब फाईनैंस मिनिस्टर साहब वर्श 1985–86 के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स की फर्स्ट इन्स्टालमैंट प्रेजैंट करेंगे।

Finance Minister (Shri Sagar Ram Gupta): Sir, I beg to present to this august House the supplementary Estimates (First Instalment) 1985-86.

एस्टीमेट्स कमेटी की वर्श 1985–86 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स (पहली किस्त) पर रिपोर्ट पे ा करना

श्री अध्यक्ष : अब चौधरी कुन्दन लाल, एम0 एल0 ए0, वर्श 1985–86 के सम्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स (फर्स्ट इन्स्टालमैंट) पर कमेटी आन ऐस्टीमेट्स की रिपोर्ट पे ा करेंगे।

चौधरी कुन्दन लाल (सदस्य, कमेटी आन ऐस्टीमेट्स) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्श 1985–86 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पे ा करता हूं।

ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामलो में प्रिविलेज कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स पे ा करना तथा अन्तिम रिपोर्ट पे ा करने के लिए समय बढाना

श्री अध्यक्षः अब चौधरी इन्द्र सिंह नैन, एम0 एल0 ए0, चेयरमैन, प्रिविलेजिस कमेटी, 24 मई, 1982 को राज भवन में चौधरी

देवी लाल, एकस एम0 एल0 ए0 द्वारा गवर्नर आफ हरियाणा की इंसल्ट, एब्यूज एंड मैन हैंबलिंग के इशू पर कमेटी की सैंवथ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रैजैंट करेंगे।

(i) 24–5–1982 को राज भवन में हरियाणा के राज्यपाल का कथिल अपमान करने, गाली देने तथा बल प्रयोग करने के लिए चौधरी देवी लाल एक्स एम0 एल0 ए0 के विरूध

Shri Inder Singh (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Chaudhri Devi Lal, Ex. MLA for alleged insulting, abusing and man-handling the Governor of Haryna in Raj Bhawan on the 24th May, 1982.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि कमेटी की फाइनल रिपोर्ट प्रैजैंट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाए।

श्री लछमन सिंह (कालका) : स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से बोनला चाहडूंगा। स्पीकर साहब, यह मामला आपकी प्रिविलेजिज कमेटी के सामने पिछले साढे तीन साल से है और हरियाणा के नए

इलैक ांज होने में कम से कम डेढ साल का अर्सा और रह गया है। आज से 6 महीने के बाद हाउस फिर मिलेगा, चौधरी देवी लाल जी भी इस्तीफा देकर चुनाव दोबारा लड रहे है, उसका नतीजा पता नहीं क्या होगा लेकिन मैं यह समझता हूं कि दस मसले को ड्रोप करना चाहिए क्योकि यह मसला बहुत पुराना हो चुका है और अब इसमें कोई ज्यादा वैल्यू भी नही रहेगी। यदि इसी तरह से करना है तो यह प्रिविलेज कमेटी को एक काम देने वाली बात है और कोई बात नही है। इस मसले का फैसला करना चाहिए अगर कानून इजाजत देता है तो Let him be hanged. इस तरह से टाल मटोल करके हर सै ान में टाईम ऐक्सटैंड करने के लिए इजाजत मांग लेना कोई अच्छी बात नही है। अब इस विधान सभा के तीन सै ान्स बाकी रह गए है। अब बजट सै ान आएगा। फिर अससे अगला सै ान होगा और उसके बाद फिर बजट सै ान आएगा। उसके बाद तो हरियाणा विधान सभा के नए इलैक ान होंगे उन तीनों सै ानों में से इसकी मियाद मांगते रहेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। इस लिए मेरी आप से दरख्वास्त है कि यह कोई अच्छी बात नही है इस मामले को ड्रोप कर दिया जाए। कल भाायद चौधरी देवी लाल जी दोबारा आकर ओथ लेंगे जैसा कि चौधरी साहब को पता होगा। मुझे तो इस कारे में इतना पता नही है। स्पीकर साहब आपको मालूम है कि इंग्लैंड के अन्दर एक ऐसा केस हुआ है। प्रिविलेज कमेटी के जो मैम्बर साहेबान है मैं उनको बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड में एक पार्लियामैंट के मैम्बर ने जो उाफि ायल ओथ होती है वह लेने से रीफ्यूज कर दिया। वह मैम्बर कहता है कि मै इस ओथ को नही लेता। उन्होने उसको

अनसीट कर दिया। वह लोगों के पास गया और फिर दोबारा इलैक्ट हो कर आ गया। उसने फिर कहा कि मै या ओथ नही लूंगा क्योकि मैने पहले भी इसी बिना पर रीजाइन दिया था। इसलिए आप इसको अमैंड करो। उनहोने नही माना। The man was again unseated. The man went to the people third time. He was again elected. Then the British Parliament relented. उन्होने ओथ को अमैंड कर दिया यह समझ कर कि लोगो का वडिक्ट है और इस आदमी को हम इसकी मन ाा से ओथ दिलाएंगे। जब आपके सामने कल चौधरी देवी लाल जी आ आएंगे तो आप क्या करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मसले में कुछ भी नही है इसलिए आप इस को ड्रोप कर दें। मेरी यह राय है कि लोडर आफ दि हाउस को भी इस में फराखदिली दिखानी चाहिए। सुरजेवाला साहब आप तो वैसे ही उठने की जल्दी कर रहे है इसमें ऐसी कोई खास बात नही है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले को ड्रोप कर दें।

श्री अध्यक्ष : मै आनरेबल मैम्बर से गुजारिज करना चाहता हूं कि यह मैटर ड्रोप करने या मो ान को एक्सीड करने की बात नही है, इसके पीछे कुछ प्रोसीजर है, ला है ंदक ूम बंददवज हव ंहंपदेज सूं, आपको भाायद यह पता नही कि इस मामले के मुताल्लिक हाई कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्ज चल रही है। इसलिए क्योकि वहां पर प्रोसीडिंग्ज चल रही है, हम उसमें इन्अरफियर रहीं कर सकते।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, भाायद माननीय सदस्य को इस बारे में

पता नही है कि स्वयं रिस्पोंडैंट बहुत मीटिंगों में आए ही नही और उन्होने प्रिविलेज कमेटी को कोआप्रेट नही किया। यह मामला प्रिविलेज कमेटी या हाउस ने लम्बा नही किया है बल्कि रिस्पोंडिंट ने खुद इस मामले को लम्बा किया है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने बाहर के किसी मैम्बर का हवाला दे कर कोई बात बताई है। मै माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि वह बात चौधरी देवी लाल ओर उनकी पार्टी को बताना। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी जब पहली टर्म के बारे में अगली टर्म में इलैक्ट हो कर आई थीं तब भी उनको उनही पार्टी ने अनसीट कर दिया था जिनकी पार्टी का आप जिक्र कर रहे है।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, इनकी यह बात यहां पर लागू नही होगी। उनको उस बात की सजा मिल गई थी। वह तो अपने घर बैठ गए तो क्या आप भी अपने घर बैठना चाहते है। यदि ऐसा है तो आपको भी सजा मिल जाएगी।

श्री अध्यक्ष : प्र न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैंट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) 24–6–1982 को सदन में राज्यपाल के अभिभाशण के अवसर पर उनके कथित अवचार सम्बन्धी चौधरी देवी लाल एक्स एम0 एल0 ए0 के विरूद्ध

श्री अध्यक्षः अब चौधरी इन्द्र सिंह नैन, एम0 एल0 ए0, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, 24 जून, 1982 को चौधरी देवी लाल एक्स एम0 एल0 ए0 के अलैज्ड मिसकंडक्ट आन दी ईव आफ गवर्नर्ज एड्रैस टू दी हाउस के इ ू पर कमेटी की सैवंध प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रैजैट करेंगे।

Shri Inder Singh Nain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Chaudhri Devi Lal, Ex. MLA regarding his alleged mis-conduct on the eve of Governor's Address to the House on the 24th June, 1982.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ––

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैंट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाए।

श्री लछमन सिंह (कालका) : स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत आनरेबल चेयरमैन साहब से दरखास्त करूंगा कि आप यह बताएं कि आपने सिवाय मिस–कंडक्ट के दूसरा और भी कोई लफ्ज इस्तेमाल किया है। यह भी बताए कि साढ़े तीन साल के अर्से में इन्होने इस मामले में कितनी कार्यवाही की है, यह कहां तक पहुंचे है,

इन्होने क्या–क्या लिख है, इन्होने क्या–क्या सबूत दिए है और क्या कोई एक ान भी लिया है। मेरे ख्याल में इन्होने सिवाये मीटिंग में बैठने के और अपनी हाजरी लगाने के कुछ भी नहीं किया, अपनी हाजरी लगाई और घर चले गए। बढे अफसोस की बात है, लोगो के पसीने की कमाई है उसका नाजायज खर्चा होता है। ये आनरेबल मैम्बर है, टी0 ए0, डी0 ए0 लेते है इनको सब कुछ सोचना चाकिए कि हम किस तरफ जा रहे है हमारी कितनी कितनी जिम्मेदारी है। इनको इस मामले के बारे में कोई न कोई फैसला अव य लेना चाहिए था। यह कोई इतना बडा इ ाू भी नही है। लोगों ने जब डिसाइड कर दिया। We must bow our head before the decision ofthe people of Haryana. यह बहुत जरूरी बात है। स्पीकर साहब, आप तो बडे समझदार है आप मेरी बात से मुतफिक होंगे कि इस बारे मे इनको कुछ न कुछ अव य सोचना चाहिए। चौधरी भजन लाल जी वैसे तो दिल से चाहते है कि यह मामला रफा दफाा हो जाए लेकिन अब कहते नही पता नही क्या बात है। वरना तो चौधरी भजन लाल जी इतने दिन अडते ही नही। वे तो मानने वाले है। यह मामला कुछ भी नही है। मैं कहता हूं कि इस मामले को ड्रोप कर दें। यदि यह मामला ड्रोप कर दिया जाता है तो हरियाणा के अन्दर चौधरी भजन लाल जी की ज्यादा वाह वाह होगी ऐसी बात नही है। यह मामला भी कुछ नही है। प्रिविलेजिज कमेटी के मैम्बर्ज को और काम मिल जाएगा। एक और प्रिविलेज इ ाु आ रहा है। * * इनको टी0 ए0 डी0 ए0 मिलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष : दिहाडी वाली बात रिकार्ड न की जाए।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, वह बात रिकार्ड न की जाए लेकिन इनको टी0 ए0 डी0 ए0 मिलता रहेगा यह बात तो रिकार्ड में रहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप भी मैम्बर है। आप भी ऐसी बात करते है।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, यदि मैं प्रिविलेजिज कमेटी का मैम्बर हूंगा तो ऐसी गलत बात नही होने दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्र न है–

कि कमेटी की फाइनल रिपोर्ट प्रैजैंट करने के लिए नैक्सट सै ान की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) चौधरी हरद्वारी लाल, भूतपूर्व उपकुलपति, महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक के विरूद्ध

श्री अध्यक्ष : अब चौधरी इन्द्र सिंह नैन, एम0 एल0 ए0, चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी क्वै चन आफ अलैज्ड ब्रीच आफ प्रिविलेजिज अगेंस्ट चौधरी हरद्वारी लाल, ऐक्स वाईस चांसलर, महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी, रोहतक फार हिज राइटिंग एक बुकलैट 'लैजिस्लेचर जुडीि ायरी, प्रैस एण्ड यूनिवर्सिटीज कास्टिंग एस्प ैन्ज

आन दी मैम्बर्ज एंड लोअरिंग दी इम्मेज एंड प्रैस्टिज आफ दि हाउस एंड इटस मैम्बर्ज के इ ू पर कमेटी की फिफथ प्रीलिमिनरी पे ा करेंगे।

Shri Inder Singh Nain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committtee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Chaudhri Hardwari Lal, Ex. Vice-Chancellor, Maharishi Dayanand University, Rohtak for his writing a book-let "Legislative, Judiciary, Press and Universities" casting aspersions on the Members and lowering the image and prestige of the House and its Members.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Punjab Cinemas (Regulations) Haryana Amendment Bill.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि पंजाब सिनेमा (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

कि पंजाब सिनेमा (रैगुले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री महोदय बिल इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

(4) दि पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैंट (हयिाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल 1985।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब दि पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैंट (हयिाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल 1985 को इन्ट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment and Validation) Bill.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत किया–

दि पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैंट (हयिाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

दि पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैंट (हयिाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री महोदय बिल इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

(5) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिंज एंड पैन् ान आफ मैम्बर्ज) सैंकिड अमैंडमैंट बिल, 1985

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिंज एंड पैन् ान आफ मैम्बर्ज) सैंकिड अमैंडमैंट बिल, 1985 को इन्ट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowance and Pension of Members) Second Amendment Bill.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत किया–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिंज एंड पैन् ान आफ मैम्बर्ज) सैंकिड अमैंडमैंट बिल को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउसिंज एंड पैन ान आफ मैम्बर्ज) सैंकिड अमैंडमैंट बिल को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय बिल इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

(6) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन ान एंड मैडिकल फैसिलिटिज अमैंडमैंट बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन ान एंड मैडिकल फैसिलिटिज अमैंडमैंट बिल, 1985 को इन्ट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's Pension and Medical Facilities (Amendment) Bill.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत किया–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन ान एंड मैडिकल फैसिलिटिज अमैंडमैंट बिल को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज पैन ान एंड मैडिकल फैसिलिटिज अमैंडमैंट बिल को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय बिल इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल बाद–दोपहर 2.00 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

***15.37 बजे**

(तत्प चात सदन भाुक्रवार 27 सितम्बर 1985 को बाद–दोपहर 2.00 बजे के लिए *स्थागित हुआ।)